"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130-ब] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मई 2003—ज्येष्ठ 6, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक 3380/21-अ/प्रारूपण/03.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-5-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

(छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003)

विषय-सूची

कंडिकायें :

अध्याय–प्रारंभिक–एक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएँ।

अध्याय–दो
राजमार्गों की उद्घोषणा, राजमार्ग अधिकारीगण एवं उनकी शक्तियाँ एवं कार्य

3. पथ, मार्ग एवं भूमियों का राजमार्ग घोषित किया जाना।
4. राजमार्ग प्राधिकारियों की नियुक्ति।
5. राजमार्ग प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य।

अध्याय–तीन
राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव

6. राजमार्ग योजना से संबंधित खोजबीन एवं प्रारंभिक भू–मापन हेतु भूमि में प्रवेश करने की शक्तियाँ।
7. राजमार्ग विकास हेतु योजनाओं को तैयार करना।
8. राजमार्ग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कतिपय करने की शक्तियाँ।
9. राजमार्ग रेखाचित्रों का रख–रखाव।
10. पथ की सीमाओं का सीमांकन।
11. पथ की सीमाओं की वार्षिक जाँच।

अध्याय–चार
फीता विकास पर रोक

12 राजमार्ग सीमाओं भवन रेखा एवं राजमार्ग की नियंत्रण रेखा को नियत करने की शक्तियाँ।
13 मानचित्र बनाना तथा रख-रखाव किया जाना।
14 राजमार्ग सीमा एवं भवन रेखा के मध्य तथा भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा के मध्य भवनों पर रोक।
15 अपील।

16. 'कार्य–प्रगति पर' को छूट।
17. भवनों का भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा पर पीछे स्थापित करना।
18. राजमार्ग पर पहुँचने के अधिकार का परिवर्तन अथवा नियंत्रण।
19. भू–अर्जन।
20. भूमि में अधिकार अथवा हित की समाप्ति किये जाने की सूचना।
21. क्षतिपूर्ति निर्धारण में विचार योग्य विषय वस्तुएँ।
22. क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण।
23. अधिकार एवं हित कब समाप्त हो जावेगा।
24. न्यायालय को निर्देश।
25. जिलाधीश का न्यायालय को कथन।
26. सूचना की तामिली।
27. प्रविषय पर निर्बन्धन।
28. अधिनिर्णय का प्रारुप।
29. व्यय।
30. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज।

अध्याय–पांच

राजमार्ग पर अनधिकृत अधिभोग तथा अतिक्रमण की रोकथाम व अतिक्रमण का हटाया जाना

31. भूमि जो राजमार्ग का भाग है शासकीय सम्पत्ति मानी जावेगी।
32. राजमार्ग के अनधिकृत आधिपत्य की रोकथाम।
33. अतिक्रमणों का हटाया जाना।
34. धारा 39 के अंतर्गत तामील की गयी सूचना के विरुद्ध अपील।
35. अतिक्रमण को हटाने के खर्चे की वसूली।

अध्याय–छः

क्षतिपूर्ति से संबंधित पूरक प्रावधान

36. अनुबन्ध के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण।
37. खड़ी फसल, वृक्षों के काटे जाने की क्षतिपूर्ति।
38. अवैध निर्माण बाबत् कोई क्षतिपूर्ति नहीं।
39. अतिक्रमण हटाये जाने पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं।
40. समायोजन द्वारा भुगतान।

अध्याय–सात

उत्तमीकरण के अधिभार की वसूली

41. स्वामियों तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना।

42. जॉच एवं आदेश।

43. मूल्य में वृद्धि एवं उत्तमीकरण अधिभार।

44. उत्तमीकरण अधिभारों के निर्धारण के आदेश की अंतिमता।

45. व्यथित पक्षकार को उपचार।

46. उत्तमीकरण अधिभार भूमि पर भू– राजस्व के पश्चात् प्रथम अधिभार होगा।

अध्याय–आठ

राजमार्गों की यातायात की सुरक्षा सुरक्षित करने तथा क्षति से रोकने के पूरक प्रावधान।

47. राजमार्ग का उपयोग कर रहे व्यक्ति के दृष्टिपथ पर अवरोधों को रोका जाना।

48. राजमार्ग के असुरक्षित घोषित कर दिये जाने पर राजमार्ग अधिकारी द्वारा यातायात का नियमन करना।

49. निश्चित राजमार्गों पर भारी वाहनों के उपयोग पर रोक।

50. राजमार्ग अधिकारी द्वारा किसी राजमार्ग को सदैव के लिये बंद करने की इच्छा किये जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

51. राजमार्ग पर निश्चित कार्यों को करने के लिये राजमार्ग अधिकारी की सहमति वांछित।

52. राजमार्ग के क्षति की सुधार एवं रोक।

अध्याय–नौ

शास्तियॉ

53. आदेशों, अनुदेशों की अवहेलना तथा जानकारी देने से इंकार किया जाना।

54. किसी भवन के निर्माण अथवा पहुँच मार्ग से संबंधित पाबंदियों का उल्लंघन।

55. राजमार्ग पर अनधिकृत अधिभोग।

56. अपराधों के दण्ड के सामान्य प्रावधान।

57. अपराधों को शमन करने की शक्ति।

अध्याय–दस

प्रकीर्ण

58. पुलिस की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य।

59. ग्राम अधिकारियों के कर्त्तव्य।

60. बेदखली।

61. निश्चित व्यक्तियों का लोक–सेवक होना।

62. क्षेत्राधिकार का वर्जन।

63. सद्भावनापूर्ण कार्य कर रहे व्यक्तियों का संरक्षण तथा वाद अथवा अभियोजन हेतु सीमा।.

64. नियमों को बनाने की शक्ति।

65. इस अधिनियम के नियमों के उपबंध का अन्य विधियों के असंगत उपबंधों में अभिभावी होना,

66. निरसन,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003

राजमार्गों के साथ–साथ फीता विकास (रीबन डेव्हलपमेंट) को रोकने, उन पर अतिक्रमणों को रोकने तथा हटाने, राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव एवं विकास, उत्तमीकरण अधिभार की वसूली एवं कतिपय अन्य विषयों का और जनता के लिये उन शर्तों का प्रावधान करने बाबत् जो छत्तीसगढ़, राज्य में राजमार्ग के सभी सड़क परिवहन की सुरक्षा व अधिक से अधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौवन्वा वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ

1.(क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम,2003" होगा।

(ख) इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(ग) यह उस तारीख से प्रभावशील होगा (जैसे राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ के विपरीत न हो:–

(क) 'पशु' से अभिप्रेत है पालतू अथवा पाला गया पशु ;

(ख) 'भवन' में कोई भी निर्माण, किसी भी पदार्थ का हो और किसी भी रीति से निर्मित किया गया हो (कृषि उद्देश्यों से निर्मित फार्म बिल्डिंग को शामिल करते हुए) शामिल है और नींव, दरवाजे की सीढ़ियाँ, दीवारें (सरहदी दीवालों और तार घेरा को शामिल करते हुए), विज्ञापन और ऐसे ही सामान भी शामिल है।

(ग) 'भवन रेखा' का अर्थ किसी राजमार्ग में किसी भी ओर की एक रेखा है अथवा उक्त राजमार्ग अथवा उसके हिस्से के संबंध में एक राजमार्ग का भाग है जो कि धारा 12 की उपधारा–1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में नियत किया गया हो।

(घ) 'कलक्टर' से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर है और इस अधिनियम के अंतर्गत कलक्टर के कार्यो को संपादित करने के लिये राज्य शासन द्वारा विशेषतः नियुक्त कोई अधिकारी ;

(ड) 'नियंत्रण रेखा' से अभिप्रेत है धारा 12 की उपधारा(–1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा किसी राजमार्ग अथवा उसके भाग हेतु नियत 'भवन' रेखा से बाहर किसी राजमार्ग अथवा एक राजमार्ग के भाग में किसी भी ओर की एक रेखा है।

(च) 'न्यायालय' से अभिप्रेत है मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान व्यवहार न्यायालय जब तक कोई निशान अथवा खड़ा किया गया, बनाया गया, कि राज्य शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के कार्य करने के लिये किसी विशिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर एक विशेष न्यायिक अधिकारी को नियुक्त नहीं कर दिया है ;

(छ) 'सक्षम प्राधिकारी 'से अभिप्रेत है राज्य शासन अथवा/किसी राज्य शासन के किसी अधिकारी के स्थानीय प्राधिकारी अथवा एक राजमार्ग के निर्माण अथवा सुधार कार्य को स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी ;

(ज) "निर्माण करना"का अर्थ किसी भवन के संबंध में अपने व्याकरणीय परिवर्तनों के साथ किसी भवन का ढांचे के स्वरुप में निर्माण करना पुनः निर्माण करना, विस्तार करना अथवा परिवर्तन करना है।

(झ) "खुदाई"किसी भूमि के टुकड़े के संबंध में उन कार्यवाहियों को शामिल नहीं करता है जो कि उस भूमि के टुकड़े की सतह को छेद न करती हो, किन्तु कुओं तथा तालाबों को शामिल करती है।

(ड.) "अतिक्रमण"से अभिप्रेत है किसी राजमार्ग अथवा उसके हिस्से पर काबिज होना और शामिल करता है :–

(एक) किसी भवन अथवा किसी अन्य ढांचे, बाल्कनियों, पोर्चों, छज्जों अथवा राजमार्ग भूमि पर अथवा उस पर लटकता हुआ प्रोजेक्शन, का खड़ा किया जाना है।

(दो) निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, के पश्चात् भवन निर्माण सामग्री इकट्ठा करने के लिये अथवा अन्य किसी भी प्रकार की विवरण की वस्तुएं विक्रय हेतु सामग्रियों को प्रदर्शित करने अथवा खम्भों, शामियानों , टैन्टों, पंडालों, और अन्य सामान निर्माण अथवा वाहनों को खड़े करने के लिये अथवा जानवरों को इकट्ठा करने के लिये अथवा अन्य किसी उद्देश्यों के लिये राजमार्ग का आधिपत्य।

(तीन) किसी राजमार्ग भूमि पर किसी भी प्रकार के किनारों के बनाने हेतु अथवा बढ़ाने हेतु की गई खुदाई।

(ट) 'राजमार्ग 'का अर्थ किसी मार्ग अथवा पथ जिस पर जनता को रास्ते का अधिकार है अथवा पहुँच की अनुमति प्रदत्त है और जिसे कि धारा 3 के अंतर्गत राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त अभिव्यक्ति शामिल करती है:–

(एक)–कोई भूमि जो उसके साथ राजमार्ग निर्माण के उद्देश्य से अर्जित अथवा सीमांकित की गई हो,

(दो)–वे ढलानें, मार्ग की पटरी बॉरोपिट्स, पगडंडियां, चालें और, किनारे, मुख्य और सरहदी नालियां जो कि पथ के उस मार्ग से जुड़ी हो,

(तीन)– सभी पुल, पुलियों रपटों मुख्य मार्ग कैरेजवेज़ और अन्य ढांचें जो/कि उक्त मार्ग अथवा पथ पर अथवा के दरमयान निर्मित हों, और

(चार)–वृक्षों, घेरे, मैदान, सरहद, फर्लांग एवं किलोमीटर के पत्थर, और अन्य राजमार्ग सहायिकाएं एवं पदार्थ और मार्ग अथवा पथ पर इकट्ठा किये /गये पदार्थ,

(ठ) "राजमार्ग प्राधिकारी"से अभिप्रेत है तदनुसार नियुक्त प्राधिकारी अथवा जिसे धारा 4 के अंतर्गत उक्त प्राधिकारी के कार्य करने हेतु अभिन्यस्त किया गया हो,

(ड) 'राजमार्ग सरहदें' से अभिप्रेत है राजमार्ग की नियत सरहदें, जो कि धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त राजमार्ग बाबत् जारी अधिसूचना द्वारा किया गया है,

(ढ) अभिव्यक्ति"भूमि" "हितबद्ध पक्षकार" और "कार्य करने के लिये स्वत्वाधीन व्यक्ति" जो कि इस अधिनियम में उपयोग किये गये हैं के वही अर्थ रहेंगे जो कि उन अभिव्यक्तियों के भूअर्जन अधिनियम,1894 में है ;

(ण) "अधिभोगी" शामिल करता है:–

(एक) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी समय में मालिक को किराये का भुगतान कर रहा है अथवा करने के लिये बाध्य है अथवा जिस परिक्षेत्र बाबत् उक्त किराया भुगतान किया जाता है अथवा भुगतान किये जाने योग्य है उसके एक हिस्से का भुगतान करने के लिये बाध्य है,

(दो)– एक स्वामी जो उसके परिक्षेत्र में निवास कर रहा हो अथवा अन्यथा उपयोग कर रहा हो,

(तीन)– एक किराये से मुक्त किरायेदार,

(चार)– किसी परिक्षेत्र में काबिज एक अनुज्ञप्तिधारी, और

(पांच)– कोई व्यक्ति जो कि किसी परिक्षेत्र के उपयोग एवं कब्जे के संबंध में स्वामी को क्षतिपूर्ति राशि देने दायित्वाधीन है

(त) "स्वामी" से अभिप्रेत है:–

(क) जब किसी परिक्षेत्र के संदर्भ उपयोग किया जावे, वह व्यक्ति जो उक्त परिक्षेत्र का भाड़ा/किराया प्राप्त करता है अथवा वह जो कि यदि किरायेदारी पर उक्त परिक्षेत्र को दिया जावे तो किराया प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा ताकि शामिल करता है:–

(एक) एक अभिकर्ता अथवा न्यासी जो कि किराया प्राप्त करता है, अथवा न्यास में सुपुर्द किया गया है, अथवा धार्मिक अथवा दयार्थ उद्देश्यों हेतु समर्पित किसी परिक्षेत्र से संबंद्ध हो।

(दो) एक रिसीवर, सुपुर्ददार अथवा प्रबंधक जो कि सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो, और

(तीन) एक बंधक प्राप्तकर्ता जो कि कब्जे में हो:

(ख) जब एक संस्था निगमित निकाय के संदर्भ में उपयोग किया जावें; उक्त संस्था अथवा निगमित निकाय का प्रबंधक;

(थ) "विहित" से अभिप्रेत है,अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित ;

(द) "लोक–स्थान"से अभिप्रेत है:मार्ग गली रास्ता अथवा अन्य स्थान जो की मेले से जाता हो अथवा न हों, जिस पर कि जनता का पहुँचने का अधिकार प्राप्त है, तथा किसी स्थान अथवा स्टैण्ड को भी शामिल करता है जहाँ यात्री लोक वाहन द्वारा चढ़ाये अथवा उतारे जाते है।

(ध) 'लोक–वाहन' से अभिप्रेत है, किसी वाहन से जो कि यात्रियों अथवा सामानों की किराये अथवा ईनाम के लिये ढुलाई के लिये उपयोग की जाती है अथवा उपयोग हेतु अपना ली गई हो।

(च) "पहुँच के माध्यम" शामिल करता है किसी भी प्रकार का पहुँच का माध्यम, चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक हो, वाहनों के लिये हो अथवा पैदल यात्रियों के लिये हो और किसी गली को भी शामिल करता है,

(प) "राजमार्ग के मध्य"से अभिप्रेत है,राजमार्ग की सरहदों के बीच के आधें रास्ते का बिन्दु

(फ) 'भू–मापन'शामिल करता है सभी प्रकार की कार्यवाहियों जो कि ज्ञात करने, मापने और किसी सरहद अथवा सरहदों अथवा सरहद के किसी हिस्से का अभिलेख बनाने बाबत् घटनानुक्रम में है.

(ब) "भू–मापन निशान" से अभिप्रेत है, किसी बिन्दु अथवा बिन्दुओं के स्तर अथवा स्थिति को दर्शाने अथवा निश्चित करने अथवा निश्चित करने में मदद करने में किसी भू–मापन अधिकारी द्वारा खड़ा किया गया, बनाया गया, उपयोग किया गया अथवा दर्शित किया गया निशान अथवा वस्तु ;

(भ) 'भू–मापन अधिकारी' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत भू–मापन अधिकारी होने बाबत् नियुक्त कोई व्यक्ति।

अध्याय–दो
राजमार्गों की उद्घोषणा, राजमार्ग प्राधिकारी एवं उनकी शक्तियाँ एवं कार्य.

3. राज्य शासन, अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मार्ग, रास्ते अथवा भूमि को राजमार्ग घोषित कर सकती है तथा उसे वर्गीकृत कर सकती है, जैसे:– **पथ मार्ग एवं भूमियों का राजमार्ग घोषित किया जाना**

(एक)– अभिव्यक्त राजमार्ग, (एक्सप्रेस हाईवे)

(दो)– राज्य राजमार्ग,

(तीन)– मुख्य जिलामार्ग

(चार)– अन्य जिला मार्ग

(पांच)– ग्रमीण सड़क

4. राज्यशासन,अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिये राज्य शासन के किसी अधिकारी अथवा किसी प्राधिकारी को राजमार्ग प्राधिकारी राज्य अथवा राज्य के किसी हिस्सें में सभी राजमार्गों बाबत् अथवा राज्य में किसी अन्य विशेष राजमार्ग अथवा राजमार्गों बाबत्,अधिसूचना में दर्शित अनुसार, नियुक्त कर सकेगी। **राजमार्ग प्राधिकारियों की नियुक्ति**

5. राजमार्ग प्राधिकारी को नियुक्त करने वाली अधिसूचना में दर्शित उन शर्तों के अधीन रहते हुए तथा राज्य शासन सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, एक राजमार्ग प्राधिकारी इस अधिनियम में दर्शित प्रावधानों के अनुसार,राजमार्ग के साथ फीता विकास की रोकथाम बाबत् और अतिक्रमणों को हटाने बाबत् और उपरोक्त विषयों में किन्हीं अथवा सभी के तारतम्य में आवश्यक सभी विषयवस्तु बाबत् शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही राज्य शासन से स्वीकृति तथा उन सामान्य अथवा विशेष आदेशों, जो कि/ राज्य शासन इस बाबत् कर सकती है, के अधीन रहते हुए, राजमार्ग अधिकारी के लिये राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव, विकास और उन्नति का कार्य हस्तगत करना वैधानिक होगा। **राजमार्ग प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य**

अध्याय–तीन
राजमार्गों का विकास एवं रख–रखाव

राजमार्ग योजना से संबंधित खोजबीन (सर्वे) एवं प्रारंभिक भू–मापन हेतु भूमि मे प्रवेश करने की शक्तियाँ।

6 (1) राजमार्ग प्राधिकारी अथवा कोई अधिकारी जो कि लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री से निम्न श्रेणी का न हो अथवा राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा इस बाबत् अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति,इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों का पालन करने के आशय से

(क) किसी भूमि पर अपने कर्मचारियों के साथ प्रवेश कर सकता है और नापजोख कर सकता है और उस पर समतल कर सकता है,

(ख) ऐसे समतलों को, गढ्ढों अथवा नलकूपों को जो अधस्तल में हो को चिन्हित कर सकता है तथा यह ज्ञात करने के लिये कि भूमि उपयुक्त है अथवा नहीं सभी अन्य आवश्यक कार्य कर सकता है,

(ग) प्रस्तावित राजमार्ग की सीमाचिन्हें, निशान रखकर अथवा गहरे निशान खोदकर, तैयार कर सकता है,

(घ) खड़ी फसल के किसी भाग को काटकर, सफाई करवा सकता है,बाड़ लगा सकता है जहाँ कि अन्यथा भू–मापन पूर्ण नही किया जा सकता हो और समतल प्राप्त किये जा चुके हैं और सीमाचिन्हें लगाये जा चुके हैं, और

(ड). इस बाबत् आवश्यक सभी कार्य कर सकता है। परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति, किसी भवन अथवा एक निवास योग्य मकान से लगे बगीचे के खुले घिरे क्षेत्र में आधिपत्यधारी की सहमति के बिना अथवा ऐसे आधिपत्यधारी को अपने उक्त अनुसार करने के इरादे की कम से कम पन्द्रह दिनों की सूचना दिये बिना, प्रवेश नहीं करेगा अथवा खड़ी फसल के किसी हिस्से को नहीं काटेगा, और साफ करेगा, न ही बाड़ लगायेगा अथवा अन्य कार्य कर सकेगा।

(2) राजमार्ग प्राधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी, उपरोक्त प्रवेश के समय, उपरोक्त कहे अनुसार होने वाली सभी आवश्यक क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा अथवा भुगतान प्रस्तावित करेगा, तथा भुगतान की गई अथवा भुगतान प्रस्तावित की गई राशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद होने की दशा में, वह, सात दिनों की अवधि के भीतर, उक्त विवाद एवं प्रस्तावित राशि जो यदि स्वीकार नहीं की गई को उक्त जिले के कलक्टर को रिफर/सम्प्रेषित करेगा और जिसका निर्णय अंतिम होगा।

राजमार्ग हेतु विकास योजनाओं को तैयार करना।

7 (1) राजमार्ग प्राधिकारी स्वयं के विवेकानुसार अथवा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्त रुप से निवेदन किया गया हो तो,इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीनस्त रहते हुए तथा राज्य शासन द्वारा इस उद्देश्य हेतु रचित उन नियमों के अधीन रहते हुए, एक नये राजमार्ग के निर्माण अथवा एक पूर्व से अस्तित्व युक्त राजमार्ग के विकास अथवा सुधार कार्यों की विस्तृत योजना बनाकर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त योजना प्रावधान कर सकती है:-

(क) किसी भूमि का अर्जन, जो कि राजमार्ग प्राधिकारी के अभिमत में उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझा गया है,

(ख) सीमांकन तथा विभिन्न उद्देश्यों हेतु अधिग्रहित सभी अथवा किन्हीं भूमियों के ले–आउट्स/निर्माण नक्शों को तैयार किये जाने बाबत्,

(ग) किसी अस्तित्व युक्त राजमार्ग अथवा उसके किसी काट/सेक्शन के भू–परिवर्तन अथवा बंद किये जाने बाबत्'

(घ) सड़कमार्ग के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण जिसमें उसका चौड़ीकरण, समतलीकरण, सतहीकरण, पुलों के निर्माण की प्रक्रिया, पानी के निकासी की प्रक्रिया, नालीकरण,जल की आपूर्ति तथा मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था तथा मार्ग के किनारों पर वृक्षों का रोपाकरण शामिल है, बाबत्

(ड) फुटपाथों/पदयात्री मार्ग, सायकल रखने की जगहें और किसी भी प्रकार अथवा श्रेणी के वाहनों बाबत् विशेष यातायात कतारों के प्रावधान नक्शे वाहनों के ठहरने के किनारों की रेखाचित्र एवं व्यवस्था करने तथा पेट्रोल भरने एवं सर्विस स्टेशन्स एवं अन्य मार्ग के किनारों की उपयोगी आवश्यकताएँ,विज्ञापन खंभों एवं बिल फलकों के स्थानीय व्यवस्था बाबत् और

(च) राजमार्ग अथवा प्रस्तावित राजमार्ग से उपयुक्त दूरियों पर लगी हुई सम्पत्तियों को जोड़ने वाले पहुँच मार्गों का रेखाचित्र

(छ) राजमार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण का प्रावधान किया जाये :-

(i) लगाये गये पौधों के रख–रखाव के लिए विभाग/स्थानीय व्यक्तियों/समितियों को दायित्व दिया जाये।

(ii) किसी भी व्यक्ति के द्वारा सड़क सीमा के अन्दर लगाये गये पौधों/वृक्षों को काटना या जड़ से उखाड़ने पर रोक लगाई जाये;

(iii) यदि किसी के द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम अधिकारी के द्वारा अर्थदण्ड दिया जा सकता है, जो प्रति वृक्ष के लिए पाँच हजार रुपये तक या कम से कम एक हजार रुपये प्रति वृक्ष होगा। वृक्षों को काटकर ले जाने वाले वाहन को जप्त किया जाकर राजसात किया जा सकता है।

(iv) यदि किसी स्थानीय व्यक्ति अथवा समिति द्वारा वृक्ष लगाया जाता है, एवं उनका रख–रखाव किया जाता है,तो उस स्थानीय व्यक्ति/समिति को भोगबंधक का अधिकार होगा।

राजमार्ग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कतिपय करने की शक्तियाँ

8. जब सक्षम प्राधिकारी ने धारा 7 के अनुपालन में तैयार किये गये राजमार्ग योजना को स्वीकृती प्रदान कर चुके हैं तथा इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्त की व्यवस्था कर चुके हैं,राजमार्ग प्राधिकारी कार्य को जारी करने हेतु आगे बढ़ जावेंगे एवं इस उद्देश्य के लिये:-

(क) सक्षम प्राधिकारी की ओर से वे सभी संविदाओं में प्रवेश लेंगे तथा संपादित करेंगे जैसा कि आवश्यक समझा जावेगा,

(ख) योजना के अंतर्गत वांछित भूमियों के स्वामी अथवा स्वामियों से अनुबंध द्वारा क्रय अथवा सीधे उपहार,अथवा,उक्त अनुबंध न होने की दशा में, भू-अर्जन अधिनियम 1894,जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ हो, के प्रावधानों की सहायता से,अधिग्रहण की करने बाबत् व्यवस्थाएँ करेगा।

(ग) किसी अस्तित्वयुक्त राजमार्ग अथवा उसके किसी हिस्से को मोड़ सकता है, दिशा बदल सकता है अथवा बंद कर सकता है, तथा

(घ) बेरियर, परिवर्तित मार्गों अथवा अन्य माध्यमों से किसी राजमार्ग अथवा उसके किसी हिस्से का उपयोग करने वाली वाहनों के प्रकार, संख्या अथवा गति से संबंधित नियमों को जैसा कि इस बाबत् प्रदत्त किया जा सकता है के अधीन रहते हुए उन्हें नियंत्रित करेगा।

राजमार्ग रेखा चित्रों का रखरखाव

9 (1) राजमार्ग प्राधिकारी स्वयं के प्रभार में स्थित राजमार्गों के प्राधिकृत योजनाचित्रों का रख-रखाव करेगा।

(2) उन योजनाचित्रों को किसी राजमार्ग की सीमाओं को,मार्ग की चौड़ाईयों के विस्तृत नापजोख, सीमाचिन्हों के मध्य की दूरी तथा स्थिर बिन्दुओं से पर्याप्त मापों को स्पष्ट रुप से दिखाना चाहिए ताकि सीमाचिन्हों को स्थान से हटा दिये जाने पर अथवा फेर फार कर दिये जाने पर उनको पुनः स्थिर करने में उपयोगी हो सके,

(3) राजमार्ग अधिकारी के पास वे सभी अधिकृत योजनाचित्र होने चाहिए जो कि नियत प्रक्रिया अनुसार राजमार्ग तथा उनकी सीमाओं का भू-मापन के पश्चात् तैयार किये गये है

पथ की सीमाओं का सीमांकन

10 (1) राजमार्ग प्राधिकारी,उसके द्वारा रखरखाव किये जा रहे अधिकृत योजनाचित्रों के सन्दर्भ में,पत्थरों के रोपण के द्वारा अथवा स्थायी प्रकृति के अन्य उपयुक्त निशानों द्वारा जैसा कि आई.आर.सी.कोड के अनुसार आर.सी.सी सीमा के पत्थरों के द्वारा पूरे राजमार्ग के दौरान मध्यांतरों पर, इस प्रकार से कि उन पत्थरों अथवा निशानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा मार्ग की सीमाओं को सही-सही दिखलाती है,स्वयं के प्रभार के राजमार्ग की सीमाओं का सीमांकन करवाएगा।

(2) जहां कहीं भी मार्ग की सीमा में मोड़ अथवा अंधा मोड़ हैं पत्थरों निशानों को इस तरह से लोकेटेड/स्थापित किया जावेगा कि जिससे सीमा की यदि उन्हें सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ दिया जावे तो उन्हें सही व्यवस्थित सीमाचित्र बनता हो,

(3) सीमा के पत्थरों अथवा निशानों को,जिन्हें कि क्रमवार अनुक्रमांक प्रदान किया जा सकता है, का रखरखाव इस आधार पर किया जावेगा कि मानो वे राजमार्ग का हिस्सा बनते है।

पथ की सीमाओं की जॉच.

11 (1) यह राजमार्ग प्राधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करें कि राजमार्ग का कोई भी हिस्सा अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिये, अनाधिकृत अतिक्रमण,यदि कोई हो,को इंगित करने के दृष्टिकोण से,स्वयं के प्रभार के राजमार्ग के सीमाओं की नियमित जॉच करेंगे।

(2) जब एक कब्जा राजमार्ग पर किया जा चुका है, राजमार्ग प्राधिकारी धारा 33 में दर्शाए अनुसार उसके हटाये जाने के संबंधित त्वरित कार्यवाही करेंगे।

अध्याय–चार

फीता विकास (रिबन डेव्हलपमेंट) की रोक

राजमार्ग सीमाओं,भवन रेखा एवं राजमार्ग की नियंत्रण रेखा का/ नियत करने की शक्तियां

12. (1) किसीक्षेत्र में जहां कि इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील कर दिये गये हो,तथा:–

(क) जहां कोई मार्गपथ अथवा भूमि को इस अधिनियम के अंतर्गत राजमार्ग होना घोषित कर दिया गया हो, अथवा

(ख) जहां एक राजमार्ग का निर्माण अथवा विकास कार्य किया जाना हो,

राज्य शासन,अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन द्वारा,उन राजमार्गो के संबंध में राजमार्ग सीमाएं, भवन सीमायें तथा नियंत्रण रेखा,निश्चित करेगी।

परन्तु यह भी कि एक राजमार्ग की आवश्यकता जैसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय क्षेत्र जिसमें से राजमार्ग जाती है,राज्य शासन के लिये, किसी राजमार्ग अथवा उसके मार्गो के संबंध में,यह वैधानिक होगा:–

(एक) कि वे विभिन्न भवन रेखा अथवा नियन्त्रण रेखा को स्थिर, करे अथवा

(दो) कि वे भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा की स्थिर न करे।

(2) राज्य शासन, उपधारा (1) के आधीन अधिसूचना जारी करने के कम से कम साठ दिनों के पूर्व की अवधि में, अधिकृत राजपत्र मे, तथा ग्राम में निर्धारित पद्धति से एवं तहसील तथा जिला के मुख्यालयों में जहां की राजमार्ग स्थित है, अधि-सूचना प्रकाशित करवायेगी जो निम्नलिखित दर्शित करेगी :–

(अ) उपधारा (1) के आधीन अधिसूचना जारी करने का आशय

(ब) राजमार्ग सीमा एवं भवन सीमा के तथा भवन सीमा एवं नियंत्रण रेखा तथा प्रस्तावित नियंत्रण रेखा के बीच स्थित भूमि के विवरण ।

(स) सुझाव एवं आपत्तियों का, राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष, राजपत्र में उक्त अधिसूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर अथवा ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है लिखित में आमंत्रण ।

(3) राजमार्ग प्राधिकारी, इसके पश्चात् कि उक्त समस्त आपत्तियॉं अथवा सलाहों सुनी अथवा विचार की जा चुकी है, जैसी की स्थिति हो, तथा ऐसी आगामी जांच, यदि कोई, जैसा कि वे उचित समझें, राज्य शासन की इसके समक्ष हुई कार्यवाहीयों की एक प्रति, आपत्तियों अथवा सलाहों पर स्वयं के अभिमत को दर्शाता हुआ प्रतिवेदन के साथ, प्रतिप्रेषित करेंगे।

(4) यदि, उप–धारा (2) के द्वारा आपत्तियों एवं सलाहों को प्रस्तुत करने अथवा सुनवाई करने हेतु स्वीकृत की गयी समयावधि के समाप्त होने के पूर्व, कोई भी आपत्तियां या सलाह प्रस्तुत नहीं की गयी है, राज्य शासन तत्काल उप–धारा (1)के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के लिये आगे बढ़ जावेगी। यदि कोई आपत्ति अथवा सलाह की गयी है, राज्य शासन, अभिलेख एवं प्रतिवेदन तथा उपधारा (3)में संदर्भित प्रतिवेदन,पर विचार करेगी तथा या तो:–

(क) उपधारा (1)के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को त्याग सकती है अथवा

(ख) उन परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि वह उचित समझे,उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर सकती है।

(5) आपत्तियां अथवा सलाहों को विचार करने में, उप–धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाने के प्रश्न पर, राज्य शासन का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

13 किसी राजमार्ग के संबंध में राजमार्ग की सीमा, भवन–रेखा तथा नियंत्रण रेखा नियत करती हुई धारा 12 की उपधारा(1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशन के दो माह के भीतर, संबंधित प्राधिकारी राजमार्ग की सीध रेखा, राजमार्ग की सीमाओं, भवन तथा नियंत्रण रेखा तथा अधिनियम के उद्देश्य से आवश्यक अन्य विवरण दर्शाता हुआ एक नक्शा बनवायेगा तथा उस पर किसी परिवर्तन अथवा योग/संशोधन की तिथि से एक माह के भीतर उक्त नक्शे को सुधार करवायेंगे, साथ ही उस पर तिथि भी दर्शायेंगे कि अंतिम बार कब उसमें संशोधन किया जा सकेगा,राजमार्ग प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जावेगा। उक्त नक्शा जिसमें कि राजमार्ग प्राधिकारी की मुहर रहेगी,अवलोकनार्थ खुला रहेगा। उक्त नक्शे की प्रतियां किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क जमा करने पर उपलब्ध करायी जावेगी। **मानचित्र बनाना तथा रखरखाव किया जाना**

14 (1) राज्य शासन के किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना अकृषि कार्य से कृषि भूमि के भू–परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी। **राजमार्ग सीमा एवं भवन रेखा के मध्य तथा भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखाके मध्य भवनोंपर रोक**

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रुढि, अनुबंध अथवा विलेख के सिवाय, नियत तिथि को अथवा उसके पश्चात् इस अधिनियम के प्रावधानों के आधीन रहते हुए, निम्नलिखित अवरोध प्रभावशील रहेगें, कहा जावे तो,–कोई भी व्यक्ति, राजमार्ग प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना,–

(क) राजमार्ग की सीमा तथा भवन रेखा जो कि धारा (2) के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है अथवा धारा 12 की उप–धारा के अंतर्गत नियत की गयी है, जैसी भी स्थिति हो–

(एक) राजमार्ग से अथवा राजमार्ग को पहुचनें वाले माध्यमों का निर्माण, प्रारुप अथवा रेखाचित्र बनायेगा, अथवा

(दो) किसी अस्तित्वाधीन भवन को सात्विक रुप से परिवर्तित करेगा, अथवा

(तीन) किसी गढ्ढे को बनायेगा अथवा बढ़ायेगा

(चार) किसी भवन को खड़ा करेगा, अथवा

(पांच) निर्माण, प्रारुप अथवा रेखाचित्र किसी कार्य का करेगा, अथवा

(ख) किसी भूमि पर जो कि भवन रेखा तथा उप–धारा (2) के अंर्तगत नियत करने हेतु प्रस्तावित की गयी है, अथवा धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियत की गयी हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो,–

(एक) राजमार्ग से अथवा राजमार्ग को पहुंचने वाले माध्यमों का निर्माण, प्रारुप अथवा रेखा चित्र बनायेगा, अथवा,

(दो) किसी भवन को खड़ा करेगा, अथवा

(तीन) किसी अस्तित्वाधीन भवन को सात्विक रुप से परिवर्तित करेगा, अथवा

(चार) किसी गड्ढे को बनायेगा अथवा बढ़ायेगा।

(ग) किसी भवन का उपयोग करेगा अथवा पूर्व से एक पद्धति से खड़े किये गये भवन के उपयोग में परिवर्तन करेगा, जो कि किसी प्रकार से, चाहे जो कोई भी हो, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंधन करते हैं अथवा उस भूमि, जिस पर कि भवन खड़ा किया गया है, से जुड़े एक राजमार्ग के उपयोग के साथ दखलंदाजी करते है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो कि उपधारा (1)के अधीन अनुमति प्राप्त करना चाहता हो, राजमार्ग प्राधिकारी को लिखित में उस प्रारुप में आवेदन करेगा तथा ऐसी जानकारियों के साथ करेगा जैसा कि भवन,परिवर्तन,गढ्ढा खोदने,कार्यों अथवा पहुंच के साधन, जैसी की स्थिति हो, जिससे कि आवेदन संबंधित हो।

(4) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, राजमार्ग प्राधिकारी, ऐसी अतिरिक्त जांच करने के बाद जैसा कि वे उचित समझें,लिखित में आदेश द्वारा या तो–

(क) उन शर्तों के साथ, यदि कोई हो तो, जैसा कि आदेश में स्पष्ट किये गये हो, अनुमति प्रदान करेगा, अथवा

(ख) अनुमति प्रदान करने से इंकार कर देगा,

(एक) उपधारा (1)की कंडिका (क) के अंतर्गत गढ्ढा अथवा निर्माण बनाने के अथवा भूमि में कार्यों के रेखाचित्र मरम्मत, करने नवीनीकरण,चौड़ीकरण अथवा भूमिगत नाली के रखरखाव,नाले बिजली की लाइन, पाइप, छोटी नाली,के उद्देश्य से, अथवा अन्य औजार रीति से तथा उस स्तरों के रखे जावेंगे कि मार्ग के उस पर निर्माण, विकास अथवा रखरखाव नहीं रुकेंगे अथवा दुष्प्रभावित नहीं होंगे।

(दो) उपधारा (1)की कंडिका (क)के अंतर्गत एक भवन खड़ा करने अथवा परिवर्तित करने अथवा किसी गढ्ढे को बनाने अथवा विस्तृत करने, जो कि लोक स्वास्थ्य,हित तथा सुरक्षा के प्रतिस्थापन एवं जुड़ी हुई सड़क पर यातायात की सुविधा के अनुकूल हो, की अनुमति न ही रोकी जावेगी और न ही युक्तियुक्तहीन शर्तों के अधीन की जावेगी।

(तीन) नियत तिथि से पूर्व के अस्तित्वाधीन भवन के पुनःनिर्माण अथवा परिवर्तन की उपधारा (1) की कंडिका (ख)के आधीन अनुमति न ही रोकी जावेगी न ही अवरोधों के अधीन की जावेगी जब तक कि उक्त पुनःनिर्माण अथवा परिवर्तन,भवन के बाह्य स्वरुप में कोई तात्यिक परिवर्तन न करना हो।

(4) जब राजमार्ग प्राधिकारी, अनुमति से अस्वीकार करता है, उसके कारण लिखे जाने चाहिये तथा आवेदक को सूचित किये जाने चाहिये,परन्तु यह कि -उसमें अन्तर्निहित कुछ भी, किसी व्यक्ति को उसमें से आपत्तिजनक आकृतियॉ को जो कि उसे सूचित किये गये है जिसके कारण कि उपरोक्तानुसार अनुमति अस्वीकार की गई है, को हटाकर नवीन आवेदन प्रस्तुत करने से बाधित नहीं करेगा।

(5) जब कभी उपधारा (5)के अधीन एक आवेदन राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है, यह राजमार्ग प्राधिकारी के लिये दायित्वाधीन होगा कि वे उसे तीन माह की समयावधि के भीतर निराकृत करें।

(6) राजमार्ग प्राधिकारी इस धारा के अधीन स्वीकृत एवं अस्वीकृत अनुमतियों के पर्याप्त विवरणों के साथ एक पंजी व्यवस्थित करेगा तथा उक्त पंजी सभी हितबद्ध व्यक्तियों के अवलोकनार्थ निःशुल्क उपलब्ध रहेगा, तथा वे व्यक्ति उससे सद्यांश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के उद्देश्य के लिये नियत तिथि राजमार्ग सीमा रेखा अथवा नियंत्रण रेखा के संदर्भ में, का अर्थ:–

(एक) वह तिथि जिस दिन धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना उक्त राजमार्ग सीमा, भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा को नियत करने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

(दो) यदि उक्त राजमार्ग सीमा,भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा में किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया गया है तो वह तिथि जिस दिन धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन,राजमार्ग सीमा, भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा की नियत करने की अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

अपील

15. (1). यदि आवेदक धारा 14 के अंतर्गत राजमार्ग प्राधिकारी के,किसी अनुमति रोके जाने अथवा किसी शर्त के आरोपण के निर्णय से क्षुब्ध है तो वह राज्य शासन अथवा किसी प्राधिकारी जिस बाबत् अधिसूचना हो के समक्ष,उसे उक्त निर्णय की सूचना दिये जाने की तिथि से तीन दिनों के भीतर वह अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(2) वह प्राधिकारी जो अपील सुन रही है, अपीलार्थी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकती है जो वह उचित समझती हो तथा उक्त प्राधिकारी का वह निर्णय अंतिम होगा। समय का बंधन उक्त प्राधिकारी द्वारा अपील के निराकरण,बाबत् कंडिका 15 (1) में प्रदत्त अनुसार क्षुब्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील की तिथि से, तीस दिन का होगा।

'कार्य प्रगति पर को छूट'

16 धारा 14 के अंतर्गत प्रभावशील कोई भी निर्बन्ध किसी नाली,नाले बिजली की लाइन, पाइप, छोटी नाली अथवा अन्य औजार जो किसी भूमि पर उन निर्बन्धनों के प्रभावशील होने के पूर्व से है अथवा उक्त तिथि अथवा उक्त तिथि के पश्चात् राजमार्ग प्राधिकारी की अनुमति से, लागू नहीं होंगे।

भवनों का भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा पर पीछे स्थापित करना

17. यदि कोई भवन अथवा उसका कोई भाग धारा 14 में संदर्भित नियत तिथि के पूर्व खड़ा कर दिया गया है, भवन रेखा तथा राजमार्ग के मध्य में पड़ता है, तो राजमार्ग प्राधिकारी, जब कभी भी ऐसा कोई भवन अथवा भाग या तो पूर्णतः अथवा अधिकांश भाग में, गिराया जा चुका है, जला कर गिराया जा चुका है अथवा गिर चुका है, सूचना द्वारा उक्त भवन अथवा उसके भाग को, भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा के पीछे किये जाने वांछित कर सकता है।

राजमार्ग पर पहुंचने के अधिकार का परिवर्तन अथवा नियंत्रण

18. (1) राजमार्ग प्राधिकारी, यदि ऐसा यातायात की सुविधा अथवा सुरक्षा के हित में आवश्यक समझा जाता है तो नियंत्रण रेखा तथा राजमार्ग सीमा के मध्य में पड़ने वाली भूमि के दौरान अस्तित्वाधीन पहुंच के किसी अधिकार को नियंत्रित अथवा परिवर्तित करेगा।

परन्तु यह कि कोई अस्तित्वाधीन पहुंच का अधिकार तब तक परिवर्तित नहीं किया जावेगा जब तक कि वैकल्पिक पहुंच मार्ग दिया न जा चुका हो।

(2) जहां कोई अस्तित्वाधीन पहुंच का अधिकार परिवर्तित किया गया है तो वह बिन्दु, जहां से वैकल्पिक राजमार्ग को पहुंच मार्ग दिया गया है, युक्ति युक्त विहीन अस्तित्वाधीन पहुंच मार्ग के बिन्दु से दूर नहीं होगा।

(3) राजमार्ग प्राधिकारी अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा वह तिथि प्रकाशित करेगा कि जिस दिन से अस्तित्वाधीन पहुंच के अधिकार को परिवर्तित किया गया हो अथवा परिवर्तित पहुंच मार्ग प्रदान किया गया हो।

भू–अर्जन.

19 (1) किसी भी समय, राजमार्ग प्राधिकारी के आवेदन पर राज्य शासन, भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम1894 का सं.1) जैसा कि समय समय पर संशोधित हो, के प्रावधानों के अनुसार भूमि का अर्जन कर सकता है।

(2) अत्यन्त शीघ्रता की परिस्थिति मे, जब कभी भी राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त भूमि राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा अस्थायी आधिपत्य हेतु वांछित है, वह कलक्टर की आधिपत्य प्राप्त करने तथा राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा भू–अर्जन अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894 का)की धारा 35,36 तथा 37 में निहित प्रावधानों के उपयोग करने,निर्देशित कर सकती है।

भूमि में अधिकार अथवा हित की समाप्ति किये जाने की सूचना

20 (1) यदि किसी भी समय, राजमार्ग प्राधिकारी के निवेदन पर राज्य शासन संतुष्ट है कि कोई अधिकार अथवा हित किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर,एक राजमार्ग हेतु समाप्त किया जाना है तथा वैसी समाप्ति भू–अर्जन की नहीं कहला सकती है जैसा कि भू–अर्जन अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम1894 का सं.1) राज्य शासन एक आम सूचना, उक्त भूमि पर अथवा समीप में सुविधाजनक स्थान पर, चस्पा करवा कर, दिलवायेगी अथवा दो दैनिक समाचार पत्रों में, जो कि उस क्षेत्र में वितरण रखते हो, जिनमें से एक हिन्दी भाषा का होगा, प्रकाशन द्वारा दिलवायेगी, जिसमें कथन किया जावेगा कि राज्य शासन उक्त भूमि में किसी अधिकार अथवा हित को समाप्त करने का आशय रखती है तथा सभी दावे क्षतिपूर्ति बाबत् जो कि ऐसे अधिकार अथवा हित के समाप्त होने बाबत् हो, कलक्टर के समक्ष किये जा सकते है।

(2) उप धारा (1) के अंतर्गत दी जाने वाली सूचना, उक्त भूमि में उक्त अधिकार अथवा हित जो समाप्त किये जाने है,के विवरण देगी तथा अपेक्षा करेगी कि वे सभी व्यक्ति जो ऐसे अधिकार अथवा हित रखते हो, व्यक्तिगत रुप से अथवा अभिकर्ता के माध्यम से, कलक्टर के समक्ष, एक तिथि को, जो कि उक्त सूचना के प्रकाशन के चौदह दिनों के पूर्व की न होगी, उपस्थित हो। उक्त भूमि पर अधिकारों एवं हितों जो कि समाप्त की जाने वाली है की प्रकृति, राशि तथा क्षतिपूर्ति के लिये दावों के विवरण तथा आपत्तियां, यदि कोई हो, को लिखित में देने अपेक्षा की जा सकती है।

क्षतिपूर्ति निर्धारण में विचारयोग्य विषय वस्तुएँ

21.(1)अधिकार अथवा हित की समाप्ति हेतु क्षतिपूति राशि का आंकलन करने में, कलक्टर,किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जो क्षति निम्न कारणों से सहन की गयी है:–

(क) धारा 12 के अंतर्गत नियंत्रण रेखा का नियत किया जाना,

(ख) धारा 14 के अंतर्गत निर्बन्धनों का आरोपण,

(ग) धारा 17 के अंतर्गत किसी भवन अथवा उसके भाग का पीछे व्यवस्थित किया जाना,

(घ) धारा 18 के अंतर्गत राजमार्ग में पहुंच के किसी अधिकार का नियंत्रण अथवा परिवर्तन,,

को विचार में लेगा।

(2) उपधारा (1)में निहित किसी भी लीज के रहते हुए भी, किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का न ही दावा और न ही अधिनिर्णय किया जा सकेगा यदि उक्त भूमि,उक्त समय में प्रभावशील किसी अन्य विधि के अंतर्गत,समान निर्बन्धनों के अधीन है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित किये जा रहे हों।

(3) भूमि में किसी अधिकार अथवा हित की समाप्ति के लिये किसी व्यक्ति की कोई भी क्षतिपूर्ति राशि अभिनिर्णित नहीं की जा सकेगी, यदि, समान निर्बन्धनों के लिये जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित किये जा रहे है, के लिये, क्षतिपूर्ति राशि, दावाकर्ता अथवा उसके हित के पूर्वज को किसी अन्य विधि के अंतर्गत सारभूत रुप से समान निर्बन्धनों को अधिरोपित करते समय, उक्त भूमि के संबंध में भुगतान किया जा चुका है।

क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण

22 (1) उक्तानुसार नियत तिथि को, अथवा कोई अन्य आगामी तिथि को जबकि जॉच नियत की गयी है, कलक्टर दावेदार अथवा दावेदारों को, व्यक्तिगत रुप से अथवा कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है, अथवा एक अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई, का अवसर प्रदान करेगा तथा सभी दावों की सुनवाई पश्चात् एवं उन आगामी जांच के उपरांत, यदि कोई हो तो, जैसा कि वह उचित समझता हो, क्षति के संबंध में क्षति पूर्ति राशि का निर्धारण करेगा तथा ऐसा निर्धारण जो कलक्टर द्वारा निर्धारित पद्धति से किया गया हो, अंतिम होगा।

परन्तु यह कि, राज्य शासन अथवा ऐसा अन्य अधिकारी,— जैसा कि राज्य शासन इस हेतु अधिकृत करे, की पूर्व अनुमोदन के बिना, इस उप–धारा के अन्तर्गत उक्त क्षतिपूर्ति राशि का कलक्टर द्वारा निर्धारण नहीं किया जावेगा।

परन्तु आगामी यह भी कि कलक्टर उक्त अनुमोदन के बिना भी क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण का एक आदेश उन वर्गो अथवा प्रकरणों में कर सकता है जैसा कि राज्य शासन इस हेतु विशिष्टीकृत कर सकती है।

(2) कलक्टर, आवेदन की तिथि से छह माह के भीतर उपधारा (1) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करेगा। क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करते समय, भू–अर्जन अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों को भी, विचार मे लिया जावेगा।

अधिकार जब एवं हित समाप्त हो जावेगा,

23.(1) जब कभी धारा 22 की उपधारा (1)के अंतर्गत निर्धारण का एक आदेश कलक्टर द्वारा किया जाता है, कलक्टर उनके द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि को, उसके लिये स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को, उक्त निर्धारण के अनुसार, भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा जब तक कि धारा 24 की उप–धारा (2) में वर्णित आपात/कन्टिन्जेन्सी के द्वारा बाधित न हो।

(2) यदि क्षतिपूर्ति राशि के लिए स्वत्वाधीन वह व्यक्ति उसे प्राप्त करने में सहमति नहीं देगा अथवा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के स्वत्व के संबंध में यदि वहां कोई विवाद हो अथवा उसके बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो, कलक्टर क्षतिपूर्ति की राशि को उस न्यायालय में जमा कर देगा जिसमें कि धारा 24 के अंतर्गत निर्देश प्रस्तुत होता,

परंतु यह कि कोई व्यक्ति हितबद्ध होना स्वीकृत हो, उक्त भुगतान को, उस राशि की पर्याप्तता के संबंध में विरोध के साथ उक्त राशि को प्राप्त कर सकता है।

परंतु आगामी यह कि, कोई भी व्यक्ति, जिसने विरोध के के साथ के अन्यथा राशि प्राप्त कर ली हो, धारा 24 के अंतर्गत किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, अधिकारी नहीं होगा।'

परंतु यह भी कि, दर्शित में से कोई भी, किसी व्यक्ति के इस दायित्व को दुष्प्रभावित नहीं करेगा कि जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रुप से प्राप्त कर सकता है, उसे, वैधानिक रुप से स्वत्वाधीन व्यक्ति को भुगतान करेगा।

न्यायालय को निर्देश

24.(1) कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसने क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णित करने वाले आदेश को स्वीकार नहीं किया है, आदेश के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर, कलक्टर को लिखित आवेदन के द्वारा, इच्छा व्यक्त कर सकता है कि न्यायालय के निर्णयन हेतु उक्त विषयवस्तु कलक्टर द्वारा निर्देशित कर दी जावे चाहे उसकी आपत्ति,नाप, क्षतिपूर्ति राशि, व्यक्ति जिसे वह भुगतान योग्य है, क्षतिपूर्ति राशि के हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य बंटवारे, के बाबत् हो।

(2) आवेदन को वे आधार अभिकथित करने चाहिये जिन पर कि क्षति पूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में आपत्ति की गई है,

25. कलक्टर, निर्देश बनाते समय, न्यायालय की जानकारी के लिये, स्वयं हस्तलिखित करेगा:— **कलक्टर का न्यायालय को कथन।**

(क) दावे की स्थिति एवं विस्तार, किसी भवन ढांचे आदि के विवरणों सहित,

(ख) व्यक्तियों के नाम, जिन्हें वह विश्वास करने का कारण रखता है कि दावे में हित रखते हैं,

(ग) धारा 22 के अन्तर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि,

(घ) धारा 23 के अंतर्गत भुगतान कर दी गई अथवा जमा कर दी गई राशि, तथा

(ड.) यदि आबंटित क्षतिपूर्ति की राशि बाबत् हो तो, वे आधार जिन पर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया है।

26. निर्देश के प्राप्त होने पर, न्यायालय, निम्नलिखित व्यक्तियों पर सूचना, उक्त तिथि का विवरण देते हुए जिस दिन न्यायालय आपत्ति का निराकरण करेगी तथा नियत तिथि पर उनकी उपस्थिति को निर्देशित करते हुए, तामील करेगी:— **सूचना की तामिली.**

(क) उक्त आवेदक

(ख) सभी व्यक्ति जो आपत्ति में हित रखते हो, केवल उन्हें (यदि कोई हो तो) छोड़कर, जिन्होने निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि पर बिना आपत्ति के भुगतान प्राप्त करना स्वीकार कर लिया है, तथा

(ग) राज्य को कलक्टर के माध्यम से, यदि आपत्ति क्षतिपूर्ति राशि के बाबत् हो।

27. जांच की सीमा, जब तक कार्यवाही निर्बन्धित रहेगी वह आपत्ति से दुष्प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के हितों पर विचार, तक ही होगी। **प्रविषय पर निर्बन्धन।**

28. न्यायालय द्वारा इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय, लिखित में न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होगा, तथा अधिनिर्णित राशि को दर्शित करेगा तथा ऐसा प्रत्येक अधिनिर्णय आज्ञप्ति और ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय के आधारों का अभिकथन निर्णय, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (वर्ष 1908 का 5—वां)की क्रमशः धारा 2 की कंडिका (2) तथा धारा 2 की कंडिका (9)के अधीन के अर्थो में, माना जावेगा। **अधिनिर्णय का प्रारुप।**

29. न्यायालय, प्रत्येक निर्देश का निराकरण करते समय, स्वयं के समक्ष कार्यवाहियों में भरण की गई खर्च की राशि तथा किन व्यक्तियों के द्वारा तथा किस अनुपात में उनका भुगतान किया जाना है, को भी अभिकथित करेगी, **व्यय।**

परन्तु, यह कि, जब कलक्टर का अधिनिर्णय स्वीकृत नहीं किया गया है, खर्च का भुगतान साधारणतः कलक्टर द्वारा भुगतान किया जावेगा, जब तक कि न्यायालय इस अभिमत की न हो कि आवेदक का दावा इतना अधिक खर्चीला था अथवा वह कलक्टर के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने में असावधान था कि उसके खर्च की राशि में से कुछ कटौती किया जाना चाहिये अथवा वह कलक्टर के खर्च के एक भाग का भुगतान करेगा।

बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज।

30. यदि वह राशि, जो कि न्यायालय के अभिमत में, कलक्टर को अधिनिर्णित करना था, उस राशि से अधिक है जो कि कलक्टर ने अधिनिर्णित किया है, न्यायालय का अधिनिर्णय निर्देशित कर सकता है कि कलक्टर उस अधिक राशि पर, सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत जिस तिथि को उक्त भूमि पर अधिकार अथवा हित जिस दिन समाप्त किये गये थें उस तिथि से न्यायालय मे अधिक राशि की भुगतान तिथि तक का भुगतान करेगा।

अध्याय–पांच

(राजमार्ग पर अनधिकृत अधिभोग तथा अतिक्रमण की रोकथाम व अतिक्रमण का हटाया जाना)

भूमि जो राजमार्ग का भाग है, शासकीय संपत्ति होना मानी जावेगी।

31. सभी भूमियां जो राजमार्ग का भाग है, जो कि पूर्व से ही राज्य शासन में निहित नहीं है किन्तु धारा 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसमें निश्चित अधिकारों तथा हितों को समाप्त किया जा चुका है, इस अध्याय के उद्देश्य के लिये, राज्य शासन की सम्पत्ति होना मानी जावेगी।

राजमार्ग के अनाधिकृत अधिभोग की रोकथाम।

32.(1) राजमार्ग सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति राजमार्ग पर अधिभोग अथवा अतिक्रमण नहीं करेगा।

(2) किसी व्यक्ति को राजमार्ग के किसी भाग पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अतिक्रमणों को हटाया जाना।

33.(1) जब राजमार्गों की सीमाओं की जॉच के परिणाम स्वरुप अथवा अन्यथा, यह पाया जाता है कि एक राजमार्ग पर एक अतिक्रमण स्थान ले चुका है, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अथवा उसके प्रतिनिधि को उसे अतिक्रमण हटाने तथा भूमि को मूल स्थिति में, जैसा कि वह उक्त अतिक्रमण हटाने के पूर्व थी, उक्त सूचना में दर्शित निर्धारित अवधि के भीतर वापस लाने की अपेक्षा की की जाती हुई सूचना तामील करेगा।

(2) सूचना, उक्त अतिक्रमण की गई भूमि को तथा वह समयावधि जिसके भीतर उक्त अतिक्रमण को हटाया जाना है, दर्शायेगी तथा यह भी अभिकथित करेगा कि उक्त में दर्शित समयावधि के भीतर पालन न होने पर, वह व्यक्ति को अभियोजन का उत्तरदायी बना देगी तथा साथ ही संक्षिप्त निष्कासन का भी।

(3) यदि सूचना में दर्शित समयावधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तथा पालन न किये जाने का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा उपधारा (1) के संदर्भित अधिकृत अधिकारी, लिखित में कलक्टर को अतिक्रमण हटाने निवेदन कर सकेगा तथा उस पर कलक्टर संक्षिप्त निष्कासन हेतु कार्यवाही करेगा जैसा कि मानो विषयवस्तु धारा 60 की परिधि में आती हो।

(4) जहां कि अतिक्रमण उस प्रकृति का हो कि उसको तत्काल हटाया जाना यातायात की सुरक्षा के अथवा किसी ढांचे, जो कि राजमार्ग का भाग हो, की सुरक्षा के हित में आवश्यक समझा जाता है तथा तत्काल, अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति अथवा उसके प्रतिनिधि को, उपधारा (1) के अधीन सूचना, उसकी अनुपस्थिति अथवा अन्य कोई कारण से, तामील न की जा सकती है,राजमार्ग प्राधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी, उपधारा,(3) के अधीन अभियोजन के अतिरिक्त, या तो:–

(एक) ऐसे सुरक्षात्मक कार्य करवायेगा जो कि युक्तियुक्त खर्च पर किये जा सकते हो ताकि राजमार्ग पर यातायात को खतरा कम से कम किया जा सके, अथवा

(दो) यदि आवश्यक हो तो, पुलिस की सहायता से अतिक्रमण को हटवा देगा।

तामील की गई सूचना के विरुद्ध अपील।

34. जहां कि वह व्यक्ति जिस धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक अतिक्रमण हटाने की सूचना तामील की जा चुकी है, दावा रखता है, कि वह भूमि जिसके बाबत् अतिक्रमण का आरोप है वह उसकी संपत्ति है, वह, उस समयावधि के भीतर जो कि सूचना में अतिक्रमण हटाने हेतु प्रदत्त है, राजमार्ग प्राधिकारी को जानकारी के साथ कलक्टर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत करेगा। कलक्टर, वांछित जांच उपरांत, अपने लिखित में निर्णय को अभिलेख करेगा तथा उसे अपीलार्थी एवं राजमार्ग प्राधिकारी को सूचित करेगा। राजमार्ग प्राधिकारी जब तक उस विषय में अग्रिम कार्यवाही करने से रुका रहेगा।

अतिक्रमण को हटाने के खर्चों की वसूली।

35.(1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकारी अथवा धारा 33 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, किसी अतिक्रमण को हटा चुका है, अथवा किसी अतिक्रमण के संबंध में सुरक्षात्मक कार्य करवा चुका है, उसमें हुआ खर्च,उस व्यक्ति से जो कि अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी हो, आगे दर्शाये गये पद्धति से वसूली की जावेगी।

(2) खर्च जो कि वहन किया गया है का विवरण, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा उप–धारा (1)के अधीन अधिकृत अधिकारी, अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति अथवा उसके प्रतिनिधि को, इस निर्देश के साथ तामील करेगा कि उक्त राशि का भुगतान दर्शित समयावधि के भीतर उसमें दर्शित प्राधिकारी को भुगतान करेगा।

(3) उक्त विवरण, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा उप–धारा (1) में संदर्भित अधिकृत अधिकारी के इस प्रभाव के प्रमाण पत्र को भी संलग्न करेगा कि विवरण में वहन किये गये खर्च दर्शित है तथा उक्त प्रमाण पत्र इस तथ्य का अंतिम प्रमाण होगा कि वे खर्च वास्तव में वहन किये गये हैं।

(4) वे पदार्थ, यदि कोई हो तो, जो अतिक्रमण हटाने के परिणाम स्वरुप प्राप्त किये गये हैं, नियत अवधि के भीतर भुगतान कर अथवा यदि उक्त भुगतान नहीं किया गया है, वे पदार्थ नीलाम किये जा सकेगें तथा प्राप्त राशि मे से उक्त राशि घटाने के पश्चात् शेष राशि, यदि कोई हो तो, उक्त व्यक्ति को दे दी जावेगी।

(5) यदि नीलामी से प्राप्त प्रतिफल राशि, कुल राशि भुगतान हेतु शेष को पूरा नहीं करते हैं, उस आधिक्य की राशि हेतु, जो कि पदार्थ के विक्रय प्रतिफल से प्राप्त राशि से प्राप्त की गयी है, अथवा यदि कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिसको कि निकाला जा सके तथा नियत अवधि के भीतर,देय राशि का भुगतान, अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, समस्त देय राशि की वसूली बकाया भू–राजस्व की भांति की जा सकेगी

अध्याय–छः

क्षतिपूर्ति से संबंधित पूरक प्रावधान

क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण।

36. धारा 19 के अंतर्गत सूचना जारी किये जाने के पश्चात् तथा धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के पूर्व, कलक्टर, क्षतिपूर्ति राशि के निराकरण हेतु, उक्त राशि को हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य वितरण को शामिल करते हुए, किसी भी व्यक्ति जो कि भूमि,जिसमें राजमार्ग हेतु अधिकारी एवं हितों को समाप्त किया जा रहा है, मे हित रखता हो, के साथ एक अनुबंध निष्पादित कर सकता है, तथा जब एक ऐसा अनुबंध अंतिम हो चुका है कलक्टर राजमार्ग प्राधिकारी को एक अनुबंध के अंतिम होने के तथ्य की सूचना,उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, देगा तथा उसके पश्चात् कलक्टर धारा 22 के अधीन क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण की अग्रिम कार्यवाहीयों को स्थगित कर देगा तथा उक्त व्यक्ति अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त अनुबंध के अनुसार भुगतान करेगा।

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी अनुबंध, कलक्टर, राज्य शासन अथवा उस अधिकारी से जिसे राज्य शासन इस हेतु अधिकृत कर सकती है, के पूर्व अनुमोदन के बिना अंतिम नहीं करेगा।

खड़ी फसल या वृक्षों की कटाई के लिए क्षति पूर्ति।

37. किसी प्रवेश,भूमापन के माप अथवा धारा 6 के अंतर्गत किसी भी चीज के करने के समय, प्रवेश, भूमापन,के माप अथवा कोई अन्य चीज करने वाला अधिकारी उक्त प्रवेश,भूमापन,मापन अथवा कार्य क्रियान्वयन जिसमें खड़ी फसल अथवा वृक्षों का काटा जाना अथवा भूमि पर अस्थायी ढ़ांचों आदि कोई हो, का हटाया जाना शामिल है, में क्षतिग्रस्तों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा कलक्टर को, धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के निर्धारण की स्थिति में विचार किये जाने हेतु अग्रेषित करेगा।

अवैध निर्माण बाबत् कोई क्षतिपूर्ति नहीं

38. यदि किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रुप से किसी भूमि, जो कि राजमार्ग के उद्देश्य हेतु वांछित है, पर किसी भवन को अवैधानिक रुप से खड़ा किया, पुनःनिर्माण किया, जोड़ा अथवा परिवर्तित किया है, तब उक्त निर्माण , पुनःनिर्माण, जोड़ा जाने अथवा परिवर्तन किये जाने से भूमि की उपयोगिता में होने वाली किसी वृद्धि को धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

अतिक्रमण हटाये जाने पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं।

39. किसी अतिक्रमण के हटाये जाने की दशा में कोई भी क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

40. सभी भुगतान जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रुप में किये जाने हैं, वे जहां तक संभव हो, उस व्यक्ति के खाते में, उत्तमीकरण अधिभारों, यदि हो तो, जो उस व्यक्ति द्वारा अध्याय सात के अंतर्गत देय हो, के समायोजन द्वारा किये जावेंगे। **समायोजन द्वारा भुगतान ।**

अध्याय–सात

उत्तमीकरण अधिभारों का भुगतान

41. जहां कोई कार्य, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक राजमार्ग प्राधिकारी, एक राजमार्ग पर, करने के लिये अधिकृत है प्रारंभ किया जाता है, राज्य शासन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी, एक कार्य से लाभान्वित होने वाले भूमि के ज्ञात अथवा विश्वास किये गये स्वामियों अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों को दर्शित समय एवं स्थान में (उक्त समय सूचना की तिथि से तीस दिनों के पूर्व न होगा), व्यक्तिगत रुप से अथवा अभिकर्ता के द्वारा, उसके समक्ष उपस्थित होने तथा उक्त भूमियों पर उत्तमीकरण अधिभारों के लगाये जाने तथा वसूली के विरुद्ध उनके आपत्तियॉं, यदि कोई हो, को अभिकथित करने, सूचना देगा, **स्वामियों तथा हितबद्ध व्यक्तिओं को सूचना**

परन्तु यह कि, उक्त कोई भी सूचना तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि राजमार्ग प्राधिकारी, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के साथ यह घोषित कर चुका है कि उक्त कार्य के निर्माण से उक्त भूमि का मूल्य बढ़ सकता है अथवा बढ़ा है।

42 धारा41 के अंतर्गत नियत तिथि को अथवा उस अन्य तिथि को जबकि जांच आगामी नियत की गयी है, धारा 41 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, औपचारिक जांच संपादित करने के तथा आपत्तियॉं, यदि कोई हो, जो धारा 41 के अंतर्गत सूचना में वांछित अनुसार उन व्यक्तियों द्वारा किये गये हो, पर सुनवाई के पश्चात् एक आदेश करेगा। उक्त आदेश दर्शायेगा:– **जांच एवं आदेश**

(क) उक्त भूमि जो कार्यो के निर्माण से लाभान्वित हुई है,

(ख) उक्त भूमियों के मूल्य में वृद्धि जो प्रस्तावित निर्माण से हुई है, तथा

(ग) उत्तमीकरण अधिभार जो कि उक्त भूमियों में से प्रत्येक से वसूल किये जाने योग्य है।

परन्तु यह कि, उत्तमीकरण प्रभार, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 वर्ष 1959)की धारा 172 के द्वारा पारित भू–परिवर्तन के आदेश की तिथि से वसूल की जावेगी।

परन्तु आगे यह भी कि, किसी भूमि के संबंध में कोई उत्तमीकरण प्रभार वसूल योग्य न होगा:–

(एक) जो कि भवन साइट/क्षेत्र के रुप मे विकास के लिय उपयुक्त नहीं है,अथवा

(दो) जो कि राजमार्ग के मध्य से किसी भी ओर दो सौ मीटर की दूरी के बाद स्थित है।

43. निर्माण कार्य की वजह से मूल्य में वृद्धि वह राशि होगी जो कि प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने की तिथि पर उक्त भूमि को मूल्य में वृद्धि करने की संभावना है अथवा उक्त कार्य प्रारंभ होने की तिथि से भूमि के मूल्य में वृद्धि हो चुकी है तथा उत्तमीकरण प्रभाव उक्त मूल्य में वृद्धि का आधा होगा। **मूल्य में वृद्धि एवं उत्तमीकरण अधिभार.**

स्पष्टीकरण:–इस धारा के प्रायोजन के लिये, राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी:–

(क) किसी कार्य के प्रारंभ होने की तिथि तथा

(ख) उक्त कार्य के पूर्ण होने की तिथि।

44. उत्तमीकरण प्रभार नियत करने का आदेश, जो धारा 42 के अंतर्गत किया गया है, वह अंतिम होगा। **उत्तमीकरण अधिभारो के निर्धारण के आदेश की अंतिमता.**

45. कोई व्यक्ति जो उत्तमीकरण प्रभार नियत करने के आदेश से व्यथित है, एक सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में पहुंच सकता है। **व्यथित पक्षकार को उपचार**

46. उत्तमीकरण प्रभार, जो किसी भूमि के संबंध में वसूल किये जाने योग्य है, भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल किये जा सकेंगे। **उत्तमीकरण अधिभार भूमि पर भू–राजस्व के पश्चात् प्रथम अधिभार होगा**

अध्याय–आठ

राजमार्ग की यातायात की सुरक्षा सुरक्षित करने तथा क्षति से रोकने के पूरक प्रावधान:–

47.(1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकारी इस अभिमत पर है कि उक्त राजमार्ग के किसी मोड़ अथवा किनारे का उपयोग करने वाले व्यक्ति के दृष्टिपथ पर अवरोध से उत्पन्न होने वाले खतरे को रोकने के लिये, यह आवश्यक है, वे धारा 16 में अन्यथा प्रावधान को सुरक्षित रखते हुए, उक्त राजमार्ग के लम्बाई में अथवा मोड़ पर अथवा किनारे पर की भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को, किसी अस्तित्वाधीन दीवार (जो कि एक स्थायी ढ़ाचे का भाग निर्मित करने वाली दीवार नहीं है), तार घेरा, पौधों की बाड़, वृक्षों, विज्ञापन के खंभों, सूचना–फलक अथवा उस पर अन्य कोई अवरोध को, उक्त समय के भीतर तथा उस पद्धति से जैसा कि उक्त सूचना में दर्शाया जा सकता है, उसकी उंचाई अथवा प्रकृति को परिवर्तित करने हेतु, सूचना प्रेषित करेगा। **राजमार्ग के उपयोग कर रहें व्यक्ति के दृष्टि पथ पर अवरोधों की रोक थाम,**

(2) युक्तियुक्त खर्च जो स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा जो सूचना में वांछित के पालन में वहन किये गये हैं उसे वापस भुगतान कर दिये जावेंगे परन्तु उक्त वस्तु अथवा अवरोध किसी तत्समय प्रभावशील विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्मित अथवा खड़े न किये गये हों, वापस भुगतान योग्य राशि का निर्णय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा इस संबंध में उक्त निर्णय अंतिम होगा।

(3) सूचना में वांछित के पालन में हुए किसी वस्तु अवरोध, जो कि तत्समय किसी प्रभावशील विधि अथवा उप–विधि मे उल्लंघन में निर्मित अथवा खड़ा किया गया हो, को हटाने में वहन किये गये खर्च का वापसी भुगतान नहीं किया जावेगा। संबंधित विधि में जिस तरह से प्रावधान हो तद्नुसार संबंधित व्यक्ति जिसने उक्त वस्तु अथवा अवरोध को किसी विधि अथवा उप–विधि के उल्लंघन में निर्मित किया है अथवा खड़ा किया है, के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे उप–धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रेषित की गई है, उक्त सूचना में किसी वांछित का पालन करने में आपत्ति करता है, वह प्राप्ति के एक माह के भीतर, राजमार्ग प्राधिकारी को, अपनी आपत्ति लिखित में उसके आधारों को भी दर्शाते हुए, भेजेगा।

(5) राजमार्ग प्राधिकारी आपत्ति प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत किये गये आधारों पर विचार करेगा तथा लिखित में आदेश द्वारा सूचना वापस ले लेगा अथवा संशोधित करेगा अथवा उसकी पुष्टि करेगा,

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अंतर्गत राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा पारित एक आदेश से व्यथित है वह, उसे उक्त आदेश की सूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर, कलक्टर को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस विषय पर अंतिम होगा।

(7).(क) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1)के अंतर्गत प्रेषित सूचना जैसी की उप–धारा (5) के अंतर्गत सशोधित अथवा पुष्टिकृत हो, जैसी भी परिस्थिति हो, का पालन करने में चूक करता है,राजमार्ग प्राधिकारी, दृष्टिपथ का अवरोध उत्पन्न करने वाली वस्तु को परिवर्तित बाबत् कार्यवाही कर सकते हैं।

(ख) कोई भी खर्च जो राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा उस वस्तु को परिवर्तित करने में हुआ है जो कि दृष्टिपथ पर अवरोध उत्पन्न कर रही थी, संबंधित व्यक्ति से,यदि वह वस्तु इस बाबत् प्रभावशील किसी विधि के उल्लंघन मे निर्मित अथवा खड़ी की गयी थी, अन्य किसी तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अंतर्गत कार्यवाही का जो प्रावधान है उसके पूर्वाग्रह के बिना, वसूल की जा सकेगी।

राजमार्ग असुरक्षित घोषित करें दियेजाये एवं राजमार्ग अधिकारी द्वारा यातायात का नियमन करना

48. यदि किसी समय राजमार्ग प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उसके प्रभार का कोई राजमार्ग अथवा उसका कोई भाग,क्षतिग्रस्त होने से अथवा अन्यथा,वाहन अथवा पद यात्रियों के यातायात हेतु असुरक्षित है अथवा कर दिया गया है, वह, उन नियमों के अधीन रहते हुए जो कि इस हेतु बनाये गये हैं, या तो राजमार्ग अथवा उसके भाग को समस्त यातायात बाबत् बंद कर देगा अथवा उक्त राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या तथा गति अथवा वजन को नियंत्रित करेगा।

कतिपय राजमार्ग पर भारी वाहनों के उपयोग पर रोक

49. जहां राजमार्ग प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई राजमार्ग अथवा उसका भाग,अथवा कोई पुल, नाला अथवा नाली जो कि राजमार्ग पर अथवा उसकी चौड़ाई में बनाये गये हैं, उन वाहनों को चलाने के लिये प्रारुप नहीं किये गये हैं जिनका माल सहित वजन, उस सीमा से अधिक हो जो कि इस हेतु नियत किये जा सकते है, वे, उन नियमों के अधीन रहते हुए जो कि इस हेतु नियत किये जा सकते हैं, उक्त राजमार्ग अथवा उक्त राजमार्ग के भाग अथवा उक्त पुल, नाला तथा नाली पर से उन वाहनों का चलाया जाना वर्जित अथवा अवरोधित कर सकते हैं।

राजमार्ग अधिकारी द्वारा किसी राजमार्ग को सदैव के लिये बंद करने की इच्छा किये जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया

50.(1) जहां, धारा 48 में उनको प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में ,राजमार्ग प्राधिकारी, किसी राजमार्ग अथवा उसके भाग को,स्थायी रुप से बंद करना चाहते हैं, वे राजपत्र में अपने ऐसा करने के आशय की सूचना अधिसूचित कर सकेंगे। उक्त अधिसूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जावेगी जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा।

(2) उक्त सूर्धना, वैकल्पिक मार्ग, यदि कोई हो, जो कि प्रदान करने हेतु प्रस्तावित की गई है अथवा जो पूर्व से अस्तित्व में है,को भी इंगित करेगी तथा आपत्तियां, यदि कोई है, उक्त समयावधि के के भीतर जैसा कि दर्शित हो, उक्त प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर आमंत्रित करेगी।

(3) राजमार्ग, प्राधिकारी,आपत्तियों को, यदि कोई निर्धारित समयावधि में प्राप्त हुई हों, पर विचार करने के पश्चात् किसी राजमार्ग अथवा उसके भाग को बंद करने के अपने प्रस्ताव को अंतिम करेगा तथा राज्य शासन को अनुमोदनार्थ, अंतिम प्रस्ताव,उन आपत्तियों के साथ, प्रस्तुत करेगा जो कि उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त हुई हों।

(4) राज्य शासन या तो अधिसूचना के साथ अथवा उसके बिना उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकती है अथवा रिरस्त कर सकती है।

(5) यदि राज्य शासन प्रस्ताव का अनुमोदन करती है तो वह अपने आदेशों को अधिकृत राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(6) जब राज्य शासन के आदेशों की अधिकृत राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, राजभार्ग प्राधिकारी उन आदेशों के आगामी प्रचार, कम से कम दो समाचार पत्रों में,जिनमें से एक उस स्थान के क्षेत्रीय भाषा का होगा जिसमें कि राजमार्ग स्थित है, हेतु व्यवस्था करेगा तथा राजमार्ग अथवा उसका भाग तब बंद कर दिया जावेगा।

(7) जब कभी कोई राजमार्ग अथवा उसका कोई भाग उक्तानुसार बंद कर दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जावेगा, जो कि मात्र आम जनता के सदस्य से अतिरिक्त, उक्त राजमार्ग अथवा उसके भाग का उपयोग अपनी संपत्ति को अथवा से पहुंच मार्ग के रुप में करने का अधिकारी था तथा उक्तानुसार बंद होने पर क्षति वहन किया है।

राजमार्ग पर निश्चित कार्यों के करने के लिय राजमार्ग अधिकारी की सहमति वांछित

51.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट बात के होते हुए भी, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति, केवल उक्त राजमार्ग प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, किसी राजमार्ग की लम्बाई, चौड़ाई, नीचे अथवा उपर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगा अथवा कोई भूमिगत नाली (केबल), तार, पाइप,नाली, किसी प्रकार का जल स्त्रोत (चेनल) नहीं ले जावेगा।

(2) अपनी अनुमति देने में, राजमार्ग प्राधिकारी ऐसी शर्तो को अधिरोपित कर सकते हैं जो कि वे आवश्यक समझते हैं, और वे किराया अथवा अन्य प्रभार भी, राजमार्ग का हिस्सा होने वाली भूमि पर, जो प्रस्तावित कार्य हेतु कब्जा अथवा उपयोग की गयी है, अधिरोपित कर सकता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1)के उल्लंघन में निर्माण करता है अथवा कोई कार्य करवाता है,राजमार्ग प्राधिकारी उक्त कार्य को हटाये जाने तथा राजमार्ग की उसकी पूर्व की दशा में, धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार, वापस लाने, व्यवस्था करेगा, जैसा कि मानो उक्त कार्य राजमार्ग पर एक अतिक्रमण कारित किया है तथा वे खर्चे जो हैं राजमार्ग प्राधिकारी इस उद्देश्य हेतु वहन कर सकता है, किसी अन्य कार्यवाही, जो कि उस व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती है,को पूर्वाग्रहित न करते हुए, उससे धारा 35 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार, जहाँ तक कि वह प्रक्रिया लागू होती हो, वसूल कर सकता है।

राजमार्ग के क्षति की सुधार एवं रोक थाम.

52.(1) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी राजमार्ग को/क्षति नहीं पहुंचायेगा और न ही अपने प्रभार के किसी वाहन अथवा पशु को ऐसा करने देगा।

(2) जहां, उपधारा (1)के उल्लंघन में किसी राजमार्ग को क्षति पहुंचाई गई है, राजमार्ग प्राधिकारी,क्षति को सुधरवायेगा तथा खर्च जो हुआ है, उपधारा (1) के उल्लंघन के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है उसे पूर्वाग्रहित किये बिना,उससे धारा 35 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार, जितना तक कि वह प्रक्रिया लागू होती हो, वसूल की जा सकती है।

अध्याय–नौ

शास्तियॉं

अदेशों, अनुदेशों अवहेलना तथा जानकारी देने से इंकार किया जना

53. जो कोई भी, किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी जोकि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्देश देने हेतु शक्ति प्रदत्त है के द्वारा विधिवत दिये गये निर्देशों को स–आशयउल्लंधन करता है अथवा किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत किन्ही कार्यो को सम्पन्न करने के लिये वांछित एवं शक्ति प्रदत्त है,के उन कार्यो में बाधा उत्पन्न करता है अथवा इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत किसी जानकारी को प्रदान करने हेतु है अपेक्षा किया जा रहा है ऐसी जानकारी को नहीं देता है अथवा ऐसी जानकारी देता है जो वह जानता है कि असत्य है अथवा जिसे वह सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, सजा होने पर अर्थ दण्ड से जो कि दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जा सकेगा।

किसी भवन के निर्माण अथवा पहुंच मार्ग से संबंधित पाबंदियों का उल्लंधन

54. जो कोई भी, किसी भवन को खड़ा करता है,परिवर्तित करता है अथवा बढ़ाता है अथवा कोई खुदाई करता है अथवा एक राजमार्ग को अथवा से पहुंच मार्ग अथवा माध्यम का निर्माण करता है अथवा धारा 14 के प्रावधानों के उल्लंधन में कोई अन्य कार्य करता है, सजा होने पर, दण्डित किया जा सकेगा:–

(क) अर्थदण्ड से जो कि पांच हजार रुपये तक हो सकता है, तथा

(ख) आगामी अर्थदण्ड से जो कि उक्त सजा के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये एक हजार रुपये तक हो सकता है, उस अवधि में जबकि अपराधिक संरचना अथवा कार्य को हटाया, गिराया अथवा साफ किया नहीं गया है तथा उक्त स्थान को उसकी मूल स्थिति में नहीं लाया गया है।

राजमार्ग पर अनाधिकृत आधिपत्य।

55. जो कोई भी,

(क) किसी राजमार्ग पर कब्जा करता है अथवा किसी अतिक्रमण को बनाता है जोकि धारा 32 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंधन में है, अथवा

(ख) धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रेषित की गई सूचना का, बिना किसी वैध कारण के,पालन करने में चूक करता है, सजा होने पर, दण्डित किये जाने योग्य है:–

(एक) प्रथम अपराध के लियें अर्थदण्ड जो कि पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, तथा

(दो) एक पश्चातवर्ती अपराध के लिये जो कि उसी अतिक्रमण से संबंधित हो, अर्थदण्ड जो कि दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है, तथा

(तीन) निरन्तर अतिक्रमण के लिये, कारावास दो माह तक साथ ही एक अतिरिक्त अर्थदण्ड जो पॉच हजार रुपये प्रत्येक दिन से अधिक न होगा जिस पर उक्त राजमार्ग का अधिभोग अथवा अतिक्रमण निरन्तर बना रहता है।

स्पष्टीकरण:– "निरन्तर" अतिक्रमण का अर्थ होगा निरन्तर अथवा राजमार्ग के उसी भाग अथवा स्थान का अतिक्रमण किसी यक्ति द्वारा कया जाना जिस बाबत् उसे उप–कंडिका (ब) में पूर्व में सजा दी जा चुकी है।

आपराधो के दंड के लिए सामान्य प्रावधान

56. जो कोई भी,इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा किसी नियम. अथवा आदेश जो कि उसके अंतर्गत किये गये हैं, का उल्लंघन करता है, यदि अन्य कोई शास्ति उक्त अपराध हेतु प्रावधान न की गयी हो तो, सजा होने पर, दण्डित किया जा सकेगा:–

(क) प्रथम अपराध के लिये, अर्थदण्ड से, जो कि सौ रुपये तक बढ़ सकता है, तथा

(ख) एक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये, अर्थदण्ड से , जो कि पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

अपराधों को शमन करने की शक्ति

57. तत्समय प्रभावशील किसी विधि में दर्शित किसी चीज के रहते हुए भी, कोई अपराध जो, धारा 55 के अंतर्गत दर्शित अपराध से अन्य कोई, इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, राजमार्ग प्राधिकारी के द्वारा उन शर्तो पर, जैसा कि राज्य शासन के द्वारा विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश के द्वारा दर्शित किया जावेगा तथा यदि कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी दाण्डिक न्यायालय में स्थापित की जा चुकी है, तक राजीनामा की उन शर्तो पर कि संरचना दोष मुक्ति के समतुल्य होगी तथा किसी भी परिस्थिति में कोई आगामी कार्यवाहियां उस व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति की सम्पत्ति के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों के संदर्भ में, नहीं की जावेगी।

अध्याय–दस

प्रकीर्ण

58. प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी नियम के विरुद्ध कारित कोई अपराध उसके संज्ञान में आते ही, समीपस्थ राजमार्ग प्राधिकारी अथवा समीपस्थ अधिकारी जो उक्त राजमार्ग प्राधिकारी के अधीनस्थ हो, को, तत्परता से जानकारी उपलब्ध करेगा तथा राजमार्ग प्राधिकारी तथा उसके अधिकारी गणों एवं कर्मचारियों की उनके विधिवत प्राधिकार के प्रयोग में, सहायता करने बाध्य रहेगा। **पुलिस की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।**

59. प्रत्येक ग्राम कोटवार, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, समीपस्थ पुलिस थाने अथवा समीपस्थ राजमार्ग प्राधिकारी अथवा राजमार्ग प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार अधिकृत किसी अधिकारी को जब कभी भी वह ज्ञात होता है कि किसी राजमार्ग का कोई भू–मापन चिन्ह अथवा कोई चिन्ह जो किसी राजमार्ग के संबंध में भवन अथवा नियंत्रण रेखा जो नियत की गई है वह दर्शाता हो ,वह नष्ट कर दी गयी है, क्षतिग्रस्त की गयी है, हटा दी गयी है, प्रतिस्थापित की गयी है अथवा अन्यथा दुष्प्रभावित की गयी हो अथवा किसी राजमार्ग को कोई क्षति कारित की गयी हो, तत्परता से जानकारी उपलब्ध करेगा। **ग्राम अधिकारियों के कर्तव्य**

60. कोई व्यक्ति जिसने किसी भूमि को अवैध रुप से कब्जा कर रखा है:– **बेदखली।**

(क) जो कि राजमार्ग का एक भाग है, अथवा

(ख) जिसका कब्जा किया जाना इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है,

वह इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार निष्कासित कर दिया जावेगा।

61. राजमार्ग प्राधिकारी तथा अन्य सभी अधिकारीगण तथा अन्य व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत अथवा नियुक्त है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम का सं.X.L.V.) की धारा 21 के अर्थो में लोक–सेवक माने जावेंगे। **निश्चित व्यक्तियों का लोक सेवक होना।**

62. उन प्रश्नों, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत राजमार्ग प्राधिकारी, कलक्टर अथवा अधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत किया गया है अथवा राज्य शासन द्वारा निराकृत निर्णित अथवा विचार किया जाना है, के निराकरण, निर्णयन अथवा विचार किये जाने बाबत् किसी भी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। **क्षेत्राधिकार का वर्जन,**

सद्भावना पूर्ण कार्य कर रहे व्यक्तियों का संरक्षण तथा वाद अथवा अभियोजन हेतु समय सीमा

63.(1) इस अधिनियम के अंतर्गत विधिवत अधिकृत किसी लोक सेवक अथवा अधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध,किसी चीज के बाबत् जो इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा आदेशों के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक किया गया है अथवा किये जाने हेतु आशयित है, कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जावेगी।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत विधिवत अधिकृत किसी लोक सेवक, अथवा अधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध, किसी चीज जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो अथवा किये जाने हेतु आशयित हो, तब तक कोई वाद अथवा अभियोजन संस्थित नहीं होगा जब तक कि वह वाद अथवा अभियोजन उस कार्य से छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो जिसकी कि शिकायत की जा रही है।

नियमों को बनाने की शक्ति

64.(1) राज्य शासन इस अधिनियम के समस्त अथवा किसी प्रयोजनों को पालन करने के लिए अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों को बनायेगी।

(2) विशिष्टतः तथा उपरोक्त शक्ति की सामान्यता को पूर्वाग्रहित किये बिना, राज्य शासन निम्नलिखित में समस्त अथवा किसी विषयों पर नियमों का निर्माण कर सकती है:–

(क) वह तरीका जिसमें धारा 12 के अंतर्गत गांव में तथा तहसील तथा जिला मुख्यालय में अधिसूचना प्रकाशित की जा सकती है,

(ख) वे अन्य स्थानों जहां धारा 13 के अंतर्गत नक्शे की प्रतिलिपियां अवलोकनार्थ रखी जा सकती है,

(ग) धारा 14 की उप धारा (3) के अंतर्गत आवेदन का प्रारुप तथा उसकी विषय वस्तु

(ध) नियमों को दर्शित करना जिनके अधीन रहते हुए धारा 48 के अंतर्गत एक राजमार्ग अथवा उसका एक भाग,यातायात अथवा यातायात की किसी श्रेणी हेतु, बंद किया जा सकता है अथवा राजमार्ग का उपयोग कर रहे वाहनों की संख्या तथा गति अथवा भार को नियंत्रित किया जा सकता है।

(ङ) नियमों को दर्शित करना जिनके अधीन रहते हुए धारा 49 के अंतर्गत वाहन का परिवहन निर्बन्धित किया जा सकता है,

(च) राजमार्ग का उपयोग करने वाले के दृष्टिपथ पर अवरोध तथा जनता की नाराजगी, खतरा/अथवा चोट की रोकथाम,

(छ) राजमार्ग को क्षति तथा उस पर अथवा उसके समीप अवरोध, अतिक्रमण तथा उपताप की रोकथाम,

(ज) राज मार्ग सीमा तथा भवन तथा नियंत्रण रेखाओं की उचित देखभाल,

(झ) आवेदनों के जो कि प्रस्तुत किये जाने है के विभिन्न प्रारुपों तथा तथा सूचनाओं तथा विज्ञप्तियां जो कि व्यक्तियों पर प्रेषित किये जाने हैं उनके प्रारुप, नक्शों की प्रतिलिपियां प्रदान करने हेतु जो आवेदन बनाये जाने हैं तथा वे प्रभार जो इस अधिनियम के के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित अथवा वसूल किये जाने है, के विवरण,

(त्र) इस अधिनियम के अंतर्गत उसके कार्यों को निर्वहित किये जाने हेतु राजमार्ग प्राधिकारी के सामान्य मार्गदर्शन,

(ट) अस्तित्वाधीन पहुंच मार्गो के अधिकारों से परिवर्तनों का नियंत्रण,

(ठ) वह पद्धति जिसके अनुसार सूचना अथवा अभिकथन प्रेषित अथवा प्रस्तुत किये जा सकते है, तथा

(ड) अन्य विषय जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत वांछित किये गये है अथवा दर्शित किये जा सकते है।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये सभी नियमों को विधान सभा के पटल पर रखे जावेंगे।

इस अधिनियम या नियमों के उपबंधो का अन्य विधियों के असंगत उपबंधों में अभिभावी होना

65. कन्टोन्मेन्ट्स, रेल्वे के, टेलिग्राफ तथा इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में किसी केन्द्रीय अधिनियम में प्रदत्त को छोड़कर किसी विषय वस्तु के संबंध में इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियम,अन्य विधि जो राज्य विधायन द्वारा बनाये गये हैं, जहां तक कि उक्त विधि उक्त प्रावधानों अथवा नियमों से उपर, स्वीकार योग्य रहेंगे, जहां तक कि उक्त प्रावधानों अथवा नियमों तथा उस विधि से उक्त असमानता की सीमा तक, उक्त विषय वस्तु पर प्रभावशील न होंगे अथवा प्रभावशील नहीं किये जावेंगे।

(1) परन्तु यह कि, यदि, किसी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, X.L,VIII 1956) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, यह राज्य शासन के लिये विधिवत होगा कि धारा 12 के अंतर्गत वह भवन तथा नियंत्रण रेखाओं को उक्त राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों बाबत् नियत करें अथवा धारा 42 के अंतर्गत भूमियों पर उत्तमीकरण प्रभारों को वसूल करें, जिनके मूल्य में राजमार्ग के निर्माण अथवा प्रस्तावित निर्माण के कारण वृद्धि हुई है तथा तत्पश्चात् इस अधिनियम के वे प्रावधान जो कि जहां तक कि वे राजमार्ग सीमा तथा भवन रेखा के बीच,भवनों पर निर्बन्धनों पर लागू होते हैं तथा उन भवन तथा नियंत्रण रेखाओं से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसी कि स्थिति हो, तथा इस अधिनियम के प्रावधान जो उत्तमीकरण प्रभार की वसूली से संबंधित हो, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

66.	मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम 1936 (34 वर्ष 1936) एतद् द्वारा निरसित/रिपील किया जाता है।	निरसन .

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन:–

(1) एक दक्ष तथा तीव्र सड़क परिवहन व्यवस्था, एक राज्य की आर्थिक प्रगति की कुंजी है। इस हेतु यह आवश्यक है कि हमारे राजमार्ग उचित रीति से निर्मित,विकसित,व्यवस्थित तथा रखरखाव किये जाने चाहिए। भारत शासन तथा राज्य शासन राजमार्गो के निर्माण तथा रखरखाव को एब बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर रहे हैं।उपरोक्त के अतिरिक्त,मार्ग अनुभाग में निजी अनुभाग के शामिल किये जाने को एक वृहद सीमा तक उत्साहित किया जा रहा है।इन सभी गतिविधियों के लिये भूमि का अर्जन तथा राजमार्ग से लगी हुई भूमि के नियमन के उद्देश्य के लिये एक विधि का अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) प्रस्तावित विधेयक की सारगर्भित विशिष्टताएं निम्नानुसार है:–

(एक) किसी सड़क,रास्ते अथवा भूमि को राजमार्ग जैसे घोषित करने हेतु प्रावधान तथा राजमार्ग प्राधिकारी एवं उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य प्रस्तावित किये गये हैं।

(दो) राजमार्ग प्राधिकारी को भूमापन, योजनाओं के तैयार करने, सीमांकन तथा सड़क की सीमाओं की वार्षिक जांच हेतु किसी भूमि मे प्रवेश करने बाबत् शक्ति सम्पन्न किया जाना प्रस्तावति है।

(तीन) राजमार्गो के निर्माण अथवा चौड़ीकरण हेतु भूमि के अर्जन तथा इस हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया। क्षतिपूर्ति राशि की गणना के निर्धारण तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया बाबत् भी प्रावधानों को प्रस्तावित किया गया है। विवाद की स्थिति में उक्त विषयों को न्यायालय को निर्पेक्षित किया जा सकता है।

(चार) राजमार्ग पर अनाधिकृत आधिपत्य तथा अतिक्रमणों को रोकने हेतु तथा अतिक्रमणों को हटाये जाने के आवश्यक प्रावधान को प्रस्तावित किया गया है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि अतिक्रमण के हटाये जाने हेतु खर्चो को उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल किया जा सकता हैं।

(पांच) खड़ी फसलों, वृक्षों आदि को काटने के लिये क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधानों को बनाया गया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अवैधानिक निर्माणों अथवा भूमि के अनाधिकृत कब्जे के हटाये जाने

(छः) अधिकृत अधिकारी को राजमार्गों के निर्माण अथवा उच्चस्तरीयकरण के कारण से भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि बाबत् उत्तमीकरण प्रभारों की वसूली तथा नियत किये जाने हेतु शक्ति सम्पन्न किया गया है। कोई व्यक्ति जो कि उत्तमीकरण प्रभारों को नियत करने के आदेश के द्वारा व्यथित है, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में पहुच सकता है।

(सात) यातायात की सुरक्षा सुरक्षित करने बाबत् राजमार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिपथ में अवरोधों से उत्पन्न होने वाले खतरे विशेषतः किसी राजमार्ग के किसी मोड़ अथवा किनारें पर, की रोकथाम तथा राजमार्गों की क्षति की रोकथाम बाबत् भी प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं। प्राधिकारी भारी वाहनों के आवागमन को नियमित करने हेतु शक्ति सम्पन्न / अधिकृत किया गया है। किसी केबल,भूमिगत नाली,तार, पाईपलाइन, नाला, नाली तथा किसी प्रकार का गलत स्रोत राजमार्ग के लम्बाई, चौडाई, नीचे अथवा उपर निर्मित करने अथवा ले जाने बाबत् लिखित में आदेश आवश्यक होगा।

(आठ) राजमार्ग के अनाधिकृत आधिपत्य के लिये तथा राजमार्ग प्राधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के लिये उचित शक्तियों को प्रदत्त किया गया है।

(नौ) पुलिस के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा ग्राम अधिकारों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है।

3— अतः यह विधेयक — प्रस्तुत है।

रायपुर

तारीख: — — 2003 भारसाधक सदस्य.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक 3380/21-अ/प्रारूपण/03.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

THE CHHATTISGARH HIGHWAY ACT
(No. 12 of 2003)

THE CHHATTISGARH RAJMARG ACT, 2003

TABLE OF CONTENTS

clauses:

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER.II
DECLARATION OF HIGHWAYS, HIGHWAY AUTHORITIES AND THEIR POWERS AND FUNCTIONS.

3. Declaration of Roads, ways or lands as highways.
4. Appointment of Highway Authorities.
5. Powers and duties of Highway Authorities.

CHATER-III
DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF HIGHWAYS.

6. Power to enter land for reconnaissance and preliminary survey in connection with highway schmes.
7. Preparation of schemes for highway development.
8. Power to do certain acts for execution of highway schemes.
9. Maintenance of highway plans.
10. Demarcation of road boundaries.
11. Annual check of road boundaries.

CHAPTER- IV
RESTRICTION OF RIBBON DEVELOPMENT

12. Power to fix highway boundaries, building line and control line of highway.
13. Map to be prepared and maintained.
14. Restriction on buildings between highway boundary and building line and between building line and control line.
15. Apeal.
16. Exemption of work in progress.
17. Setting back of building to building line or control line.
18. Regulation or diversion of right of access to highway.
19. Acquisition of land.
20. Notice for extinguishment of right or interest in hand.
21. Matters to be considered in determinig compensation.
22. Determination of the amount of compensation.
23. Rights and interest when to be extinguished.
24. Reference to Court.
25. Collector's statement to Court.
26. Service of notice.
27. Restriction of scope.
28. Form of award.
29 Costs.
30 Interest on enhanced compensation.

CHAPTER-V
PREVENTION OF UNAUTHORISED OCCUPATION AND ENCROACHMENT ON A HIGHWAY AND REMOVAL OF ENCROACHMENT.

31. Land forming part of highway deemed to be Government property.
32. Prevention of unauthorised occupation of highway.
33. Removal of encroachment.
34. Appeal against notice served under section 39.
35. Recovery of cost of removal of encroachment.

CHAPTER- VI
SUPPLEMENTAL PROVISION RELATING TO COMPENSATION

36. Determination of amount of compensation by agreement.
37. Compensation for cutting of standing crops, trees.
38. No compensation for unauthorised erection.
39. No compensation for removal of encroachment.
40. Payment of adjustment.

CHAPTER-VII
LEVY OF BETTERMENT CHARGES IN LIEU OF DIVERSION PREMIUM.

41. Notice to owners and person interested.
42. Enquiry and order.
43. Increase in value and betterment charges.
44. Finality of order fixing betterment charges.
45. Remedy to person aggrieved.
46. Betterment charge to be first charged on land next to land revenue.

CHAPTER- VIII
SUPPLEMENTAL PROVISIONS TO SECURE SAFETY OF TRAFFIC AND PREVENTION OF DAMAGE TO HIGHWAYS.

47. Prevention of obstructions of view of person using any highway.
48. Highway Authority to regulate traffic when highway declared unsafe.
49. Prohibition of use of heavy vehicles on certian highway.
50. Procedure to be followed when Highway Authority desires to close any high way permanently.
51. Consent of Highway Authority required to do certain acts on highway.
52. Prevention and rectification of damage to highway.

CHAPTER-IX
PENALTIES

53. Disobedience of orders,instructions and refusal to give information.
54. Contravention of restrictions relating to access or erecting any building.
55. Unauthorised occupation of highway.
56. General provision for punishment of offences.
57. Power to compound offences.

CHAPTER-X
MISCELLANEOUS:

58. Powers and duties of Police.
59. Duties of Village of officials.
60. Eviction
61. Certain persons to be public servants.
62. Bar of jurisdiction.
63. Protection of persons acting in good faith and Limitation Suit of Prosecution
64. Power to make rules.
65. Provision of this Act of rules to prevail over inconsistent provisions in other laws.
66. Repeal.

THE CHHATTISGARH HIGHWAY ACT
(No. 12 of 2003)

THE CHHATTISGARH RAJMARG ACT, 2003

to Provide for the restriction of ribbon development along highways for Prevention and removal of ecnroachment theron, for the construction, maintenance and development of highways, for the levy of betterment charges and for certain other matters, and to provide for the public such conditions as will ensure safety and maximum efficiency of all road transport of Highways in the Chhattisgarh State.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty- fourth year of the Republic of India as follows:-

1 (i) This Act may be called the **Chhattisgarh State Rajmarg Adhiniyam,2003.** **Short title extent and commence-ment**
(ii) It shall extend to whole of the Chhattisgarh State
(iii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette appoint.

2 In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:- **Definitions**

(a) "animal" means any domestic or captive animal ;

(b) " building" includes any erection of whatsoever material and in whatsoever manner constructed (including a farm building for agricultural purposes) and also includes plinths, door steps, walls (including compound walls and fences), advertisement boards and the like ;

(c) "building line" means a line on either side of any highway or part of a highway fixed in respect of such highway or part thereof ,by a notification issued under Sub-Section (1) of Section 12 .

(d) "Collector" means the Collector of a district and includes any officer specially appointed of the State Government to perform the functions of a Collector under this Act.

(e) "Control line" means a line on either side of any highway or part of a highway beyond the building line fixed inrespect of such highway or part by a notification under sub-section(1) of section 12.

(f) "Court" means a principal Civil Court of original jurisdiction, unless the State Government has appointed a special judicial officer within any specified local limits to perform the functions of Court under this Act ;

(g) "Competent authority" means the State Government or a local authority or any officer of the State Government or local authority as notified by the State Government as-such authority to sanction the construction or repair of a Highway ;

(h) " to erect" with its grammatical variations in relation to a building means to construct, reconstruct, extend or alter structurally a building.

(j) " excavation " in relation to any piece of land does not include any workings which do not pierce the surface of that piece of land ; but includes well and tanks;

(k) " encroachment" means occupation of any highway or a part there of

and includes:-

(i) the erection of a building or any other structure, balconies, porches, chhajjas or projections on or overhanging the highway land ;

(ii) occupation of highway beyond the prescribed period, if any, for stacking building materials or goods of any other description for exhibiting articles for sale or erecting poles, awnings, tents, pandals and other similar erection or for parking vehicles or stabling domestic animals or for any other purposes, and

(iii) excavation of embankments of any kind made or extended on any highway land.

(l) " highway" means any road or way over which the public have a right of way or are granted access and which is declared to be a highway under section 3. The expression includes :-

(i) any land acquired or demarcated with a view to construct a high way along it ;

(ii) the slopes, berms, borrowpits, footpaths, pavements and side catch and boundary drains attached to such road or way ;

(iii) all bridges, culverts, causeways, carriageways and other struc tures, built on or across such road or way ; and

(iv) the trees, fences, posts, boundary, furlong and kilometre stones, and other highway accessories and material and material stacked on the road or way ;

(m) " highway authority" means the authority appointed as such or to which the functions of such authority are entrusted under section 4 ;

(n) " highway boundaries" means the boundaries of a highway fixed, in respect of such highway, by notification issued under sub-section (1) of section 12 ;

(o) the expression "land", " person interested " and " person entitle t to act " used in this Act shall have the same meaning as the said expression have in the land acquisition Act, 1894

(p) " occupier" includes :-

(i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner rent or any portion of the rent of the premises in respect of which such rent is paid or is payable ;
(ii) an owner living in or otherwise using his premises ;
(iii) a rent free tenant ;
(iv) a licensee in occupation of any premises ; and
(v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any premises ;

(q) " Owner " means :-

(a) when used with reference to any premises, the person who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let and includes ;

(i) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with,or concerned for, any premises devoted to religious or charitable purposes ;

(ii) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with, or concered for, any premises devoted to religious or charitable purposes ;

(iii) a receiver, sequester or manager appointed by any Court of campetent jurisdiction ; and

(iv) a mortgagee-in- possession ;

(b) when used with reference to an institution or body corporate, the manager of institution or body corporate ;

(r) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

(s) "Public place" means a road, street, way or other place whether a through fare or not, to which the public have a right of access, and includes any place or stand at which passengers are picked up or set down by a public vehicle ;

(t) "Public vehicle " means any vehicle used or adapted to be used for the carriage of passengers or goods for hire or reward.

(u) "means of access" includes any means of access, whether private or public, for vehicles or for foot passengers and includes any street ;

(v) "middle of highway" means the point halfway between the highway boundaries ;

(w) "survey" includes all operations incidental to the determination; measurement and record of a boundary or bondories or any part of boundary and includes resurvey ;

(x) "survey mark" means any mark or object erected, made, enployed or specified by a survey officer to indicate or determine or assist in determining the position or level of any point or points ;

(y) "survey officer " means any person appointed to be a survey officer under this Act.

CHAPTER-II
DECLARATION OF HIGHWAYS, HIGHWAY AUTHORITIES AND THEIR POWERS AND FUNCTIONS.

Declaration of roads,ways or lands as highways

3 The State Government may, by notification in the official Gazette, declare any road, way or land to be a highway and classify it as :-

(i) an express highway,
(ii) a state highway,
(iii) a major district road,
(iv) other district road,
(v) a village road.

Appointment of Highway Authorities.

4. The State government may, by notification in the official Gazette, appoint for the purposes of this Act or any of the provisions , offficial of the State Govt. or any Authority to be a Highway Authority for all the Highways in the State or in part of the State or for any other particular Highway or Highways in the State, specified in the notification.

Powers and duties of Highway Authorities

5. Subject to such conditions as may be specified in the notification appointing a Highway/Authority. and subject to the general or special orders of the State Government, a Highway Authority shall exercise powers and discharge duties in accordance with the provisions of this Act for the restriction of ribbon dvelopment along highways for prevention and removal of enchroachments and for all matters necessary and incidental to any or all of the above subjects . Also subject to the approval of the State Government and to such general or special orders which the State Government may make in this behalf, it shall be lawfull for a Highway Authority to undertake the construction, maintenance,development or improvement of highways.

CHAPTER - III
DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF HIGHWAYS

6. (1) The Highway Authority or any officer not below the rank of Sub-Engineer of Public Works Department or local body or any person authorised by the Highway Athority in this behalf may for the purpose of carrying out any of the provisions of this Act. **Power to enter land for reconnaissance and preliminary survey in connection with highway scheme.**

(a) enter upon any land along with his workmen and survey and take measurements and levels on it;
(b) mark such levels, dig or bore into the subsoil and do all other acts neccessary to ascertain whether the land is suitable or not;
(c) set out the boundaries of the proposed Highway by placing marks and cutting trenches;
(d) cut down and clear any part of standing crop, fence etc. where otherwise survey cannot be completed and the levels taken and the boundaries marked and,
(e) do all other acts necessary in this behalf.

Provided that no person shall enter into any building or any closed court of garden attached to a dwelling house or cut down and clear any part of standing crops, fence etc. without the consent of the occupier thereof or without giving such occupier at least fifteen days notice in writing of his intention to do so.

(2) The Highway Authority or the authorised official shall, at the time of such entry pay or tender payment for all necessary damages to be done as aforesaid, and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so paid or tendered, shall within a period of seven days, refer the dispute and deposit offered amount if not accepted, for the decision to the Collector of the district and his decision shall be final.

7 (1) The Highway Authority of its own accord or if expressly requested by the Competent Authority shall, subject to the other provisions of this Act and subject to such rules as may be framed by the State Government for this purpose, prepare and submit to the Competent Authroity for sanction, a detailed scheme for the construction of a new highway or the improvement of, or repairs to an existing one. **Preparation of scheme for highway development.**

(2) Such a scheme may provide for :-

(a) the acquistition of any land, which in the opinion of the Highway Authority is considered necessary for its execution;
(b) the demarcation and for preparation of layouts of all or any of the lands so acquired for different purposes;
(c) the diversion or closure of any existing highway or a section of such highway;
(d) the construction or reconstruction of the roadway including its widening, levelling, surfacing, bridging, sewering, draining, watersupply and street lighting arrangements and planting of road side trees;
(e) the laying out of footpaths, cycle tracks and special traffic lanes for any kind or class of vehicles, the designing and

setting of parking bays and petrol filling and service stations and other road side amenities, the location of advertisement posts and bill boards; and

(f) the layout of access roads at suitable distance connecting the highway or the proposed highway with the adjoining properties.

(g) Provision for plantation should be made on both sides of the road,-

(i) Responsibilities for the maintenance of plants/trees may be given to the Department /local authorities or Public Committee as the case may be.

(ii) No one should cut/uproot any plant or tree lying within road boundary .

(iii) Whoever contravenes any provision of this clause shall be punished with fine, which may extent to Rs. 5000/- per tree, but not less than Rs. 1000/- per tree by the Competent Authority which may be declared by State Government .The vehicle carrying the corpus of such tree shall be seized and may be confiscated.

(iv) In case the plantation and maintenance of the plants/trees is done by the local persons/societies, such local persons/societies shall have usufruct right over them.

8 When the Competent Authority has sanctioned the Highway schemes prepared in pursuance of section 7 and arranged the necessary finances for its execution, the Highway Authority shall proceed to carry out the work and may for this purpose :- **Power to do certain act for execution of highway schemes:-**

(a) enter into and perform all such contracts on behalf of the competent Authority as may be cosidered necessary;

(b) make arrangements for the acquisition of the lands required under the scheme by out right gift or purchase by agreement, with the owner or owners, or, failing such agreement, by resort to the provision of the Land Acquisition Act, 1894, as amended from time to time.

(c) turn, divert or close either temporarily or permanently any existing highway or portion thereof; and

(d) regulate subject to such rules as may be prescribed in this behalf, the kind, number and speed of vehicles using any highway or portion thereof by means of barrier, diversion roads or other means.

9 (1) The highway Authority shall maintain authoritative plans for the Highways in its charge; **Maintenance of highway plans:-**

(2) Such plans shall show clearly the boundaries of the highway, the detailed measurements of road widths, the distance between boundary marks and measurements from fixed points to enable the refixation of the position of boundary marks, in case they have been displaced or tampered with;

(3) The Highway Authority shall have all such authoritative plans prepared after having a survey made of the highway and their boundaries in the manner prescribed.

10 (1) The Highway Authority shall have the boundaries of the Highways in its charge demarcated with reference to the authoritative plans maintained by it, by planting stones or by other suitable marks of a durable nature i.e. R.C.C. boundary stones as per I.R.C. code at intervals all along the highway in such a manner that the imaginary line joining such stones or mark shows the road boundary correctly. **Demarcation of road boundaries:-**

(2) Where there are bends or kinks in the road boundary, the stones or marks shall be so located as to give the correct configuration of the boundary if they are joined by straight lines;

(3) The boundary stones are marked, which may be given consecutive numbers, shall be maintained on the ground as if they constitue part of the Highway.

11 (1) It shall be the duty of the Highway Authority to ensure that no part of the Highway is encroached upon and for this purpose shall conduct regular checks of the boundaries of the Highway in its charge with a view to locating encroachments if any; **Check of road boundaries.**

(2) When an encroachment has been made on highway, the Highway Authority shall take immediate steps as specified in section 33 for the removal thereof.

CHAPTER- IV
" RESTRICTION OF RIBBON DEVELOPMENT"

12 (1) In any area in which the provisions of this Act have been brought into force and-- **Power to fix highway boundaries, building line and control line of high-ways:-**

(a) where any roadway or land has been declared to be a highway under this Act;or

(b) where the construction or development of a highway is under taken;

the State Government may, by notification in the official Gazette, fix in respects to such Highways the Highway boundaries, the building line and the control line;

Provided that having regard to the situation as the require-ment of a Highway or the condition of the local area through which a highway passes, it shall be lawful for the state Government, -

(i) to fix different building line or control line or

(ii) not to fix building line or control line, -

in respect of any Highway or portion thereof.

(2) Not less than sixty days before issuing a notification under sub-section(1), the State Government shall cause to be published in the Official Gazatte, and in the prescribed manner in the village and at the head quarters of the tehsil and the district in which the highway is situated, a notification which shall state the following-
(a)- intention to issue to notification under subsection 1
(b)- the details all the land situated between the Highway boundary & the building line and between the building line and the control line and the control line proposed to be fixed .
(c)-invitation of objection or suggetion in writing to highway authority appeared in person before such authority in respect such of notification within a period of one month of the publication of the notification in the official Gazette or within fifteen days from the date of the publication of the notification in the village, which ever period expires later.

(3) The Highway Authority shall, after all such objections or suggestions have been considered or heard, as the case may be, and after such further enquiry, if any, as it may think necessary, forwarded to the state Government a copy of the record at the proceedings held by it together with a report setting forth its reco mendations on the objections or suggestions.

(4) If, before the expiration of the time allowed by Sub-Section-(2) for the filling or hearing of objections or suggestion, no objection or suggestion has been made, the State Government shall proceed to issue the notification under Sub-Section-(1).
If any such objection or suggestion has been made, the State Government shall, consider the record and the report re ferred to in Sub-Section(3) and may either,-

(a) abandon the proposal to issue a notification under Sub-Section (1), or

(b) issue the notification under Sub-Section(1) with such modification, if any, as it may think fit,

(5) In considering the objections or suggestion, the decision of the State Government on the question of issuing the notification under, sub-section (1) shall be final and conclusive.

13 Within two months from the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 12 fixing the Highway boundary, building line and control line with respect to any Highway, the Authority shall cause a map to be made showing the alignment of the Highway, the Highway boundaries, building and control line and any other particulars necessary for the purpose of the Act and within one month from the date of making any alteration or addition there to, cause the said map to be corrected and such map, with the date indicated thereon of the last time when the same shall have been so corrected, shall be kept in the office of Highway Authority. Such map, which shall bear the seal of the Highway Authority, shall be open to inspection. Copies of such map shall be made available to any person on payment of prescribed fees.

Map to be prepared and maintained:-

14 1. Notwithstanding the provision of the Chhattisgarh State in this regard no permission for diversion of argicultural land for non agricultural purposes shall be given in the area of the land lying between the Highway boundary and control lines without the prior sanction of the Collector of the district and subject to any general or special direction of the State Government.

2. Notwithstanding any thing contained in any law, custom, agreement or instrument for the time being inforce, on or after the appointed day, the following restrictions shall, subject to the provision of this Act, be inforce that is to say,-
no person shall, without the previous permission in writing of the Highway Authority,-

(a) upon any land lying between the highway boundary and building line, proposed to be fixed under section (2) or fixed under sub-Section (1) of section 12, as the case may be,-

(i) construct, form or layout any means of access to or form Highway; or

(ii) materially after any existing building; or

(iii) make or extend any excavation, or

(iv) erect any building, or

(v) construct, form or layout any works, or

(b) upon any land lying between the building Line and the control line proposed to be fixed under sub-section(2), or fixed under sub-section (1) of section 12, as the case may be,-

(i) construct, form or layout any means of access to or form a Highway, or

(ii) erect any building, or

(iii) materially alter any existing building, or

(iv) make or extend any excavation, or

(c) use any building or alter the use of any building already erected in a manner, which will, in any manner whatsoever, infringe any of the provisions of this Act or inter fere with use of a highway adjoining the land on which such building is erected.

Restrictions on buildings between highway boundary and buiding line and between building line and control line:-

3 Every person desiring to obtain permission under subsection (1) shall make an application in writing to the Highway Authority in such form and containing such information as may be prescribed in respect of the building,alteration, excavation, works or means of access, as the case may be, to which the application relates.

4 On receipt of such application, the Highway Authority, after making such enquiries as it may consider necessary, shall by order in writing,either-

(a) grant the permission, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, or

(b) refuse to grant such permission;

(i) Permission under clause (a) of sub-section (1) to the making of an excavation or construction, formation or laying out of works in land for the purpose of repairing, renewing, enlarging or maintaining an underground sewer, drain,electric line, pipe duct or other appara tus shall not be with held nor be made subject to any conditions save such as may be necessary for secur ing that such sewer, drain, electric line, pipe, duct or other apparatus shall be laid in such manner and such levels that the construction, development or main tenance of a road thereover will not be prevented or prejudicially affected thereby;

(ii) Permissin under clause (a) of sub-section (1) to the erec tion or alteration of a building or the making or extending of any excavation which conform to the replacements of public health, welfare and safety and convenience of traffic on the adjoining road shall be neither withheld nor made subject to unreasonable conditions;

(iii) Permission under clause (b) of sub-section (1) to the reerection or alteration of a building which was in existance before the appointed day, shall be neither withheld not made subject to restructions unless such recrection or alteration involves any material altera tion to the outside reappearance of the building.

5 If.such permission is refused the reasons therefore, shall be recorded and communicated to the applicant; Provided that nothing therein contained shall debar a person from making a fresh application after omitting there from the objectionable features communicated to him as aforesaid on account of which such permission was refused.

6 Whenever an application for permission under the provision to sub-section (5) has been made to the Highway Authority it shall be obligatory for the Highway Authority to dispose of the same within a period of three months.

7 The Highway Authority shall maintain a register with sufficient particulars of all permissions given or refused by it under this section and such register shall be available for inspection free of charge by all persons interested and such persons shall be entitled to take extracts thereform.

Explaination :- For the purpose of this section, " appointed day" shall with reference to any Highway boundary, Line or control line, mean-

(i) the day on which the notification is published in the official Gazette under sub-section (2) of section 12 proposing to fix such highway boundary, building line or control line ; and

(ii) if any modification is made in such highway boundary, building line or control line, the day on which the notification is published undersub-section 1of section12 fixing such highway boundary, building line or control line

15 (1) If any applicant is aggrieved by any decision of the Highway Authority under section 14, withholding permission or imposing any condition, he may transfer an appeal to the State Government or any au thority to be notified by the State Government within thirty days from the date on which such decision was communicated to him. **Appeal:-**

(2) The authority hearing the appeal may, after giving an opportunity to the appellant to be heard, pass such order as it may think fit and the decision of such authority shall be final. An appeal shall be disposed of within 30 days from the date of filing.

16 No restriction enforce under section 14 shall apply to any excavation or work necessary for the repair, renewal, enlargement or maintenance of any sewer, drain, electric line, pipe, duct or other apparatus constructed in or upon the land before the date on the which the restrictions came into force or with the consent of the Highway Authority on or after that date. **Exemptions of works in progress:-**

17 If any building or any part thereof erected before the appointed day referred to in section- 14 lies between the building line and the middle of a highway, the Highway Authority may, when ever any such building or part thereof has either entirely or in greater part, been taken down, burnt down or fallen down by notice, require such building or part thereof, to be set back to the building line or control line. **Setting back of building to building line or control line:-**

18 (1) The Highway Authority may, if it is considered essential in the interest of safety or convenience of traffic, regulate or divert any existing right of access to highway across the land lying between the control line and the highway boundary. **Regulation or diversion of right of access to highway :-**

Provided that any existing right of access shall not be diverted until alternative access has been given.

(2) where any existing right of access is diverted, the point at which alternative access is given to the highway shall not be unreasonably distant from the existing point of access.

(3) The Highway Authority shall, by notification in the official Gazette, publish the date on which the existing right of access has been diverted and alternative access has been given.

19 (1) At any time, on the application of the Highway Authority,the State Government may arrange land within the provision of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act 1 of 1894),as amended time to time. **Acquisition of land :-**

(2) In case of urgency, whenever it appears to the State Government that the land is required for temporary occupation by the Highway Authority, it may derect the Collector to procure the occupation and use of the same for the Highway Authority as per provisions contained in section 35,36 and 37 of the land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)

20 (1) If at any time, on the request of the Highway Authority, the State Government is satisfied that any right or interest of any person in any land be extinguished for the purposes of a Highway and such extinguishment does not amount to acquisition of land as specified in the land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), the State Government shall cause a public notice to be given by position at a prominent place on or near the land or by publication in two daily newpapers having circulation in the locality of which one shall be in the Hindi language, stating that the State Government intends to extinguish any right or interest in the land and that all claims to compensation for such right or interest to be extinguished may be made to the Collector. **Notice for extinguishment of right or interest in land :-**

(2) The notice to be given under sub-section(1) shall state the particulars of the right or interest in the land to be extinguished and shall require all persons having such right of interest to appear personally or by agent before the Collector on a day not either than fourteen days after the publication of such notice. Nature of the rights or interests in the land to be extinguished, the amount and particulars of claim to the compensation and the objections, if any may be required to be stated in writing.

21 (1) In determining the amount of compenstion for extinguishment of right or interest, the Collector shall take into consideration the damage sustained due to :- **Matters to be considered in determining compensation :-**

(a) the fixation of control line under section 12 ;
(b) the imposition of restrictions under section 14 ;
(c) the setting back of any building or part theroof under section 17 ;
(d) the regulation or diversion of any right of access to a highway under section 18

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no compensation shall be claimed or awarded if the land is subject substantially to similar restrictions under some other law, for the time being enforce, as are im posed under this Act.

(3) No compensation shall be awarded for extinguishament of any right or interest in land to any person, if compensation in respect of the same restrictions as are imposed under this Act, has already been paid under any other law in respect of the land, to the claimant or to predecessor in interest of the claim ant.

22 (1) On the day so fixed, or on any other day to which the enquiry has been adjourned, the Collector shall give claimant or claimants an oportunity of being heard in person or by any person authorised by him in this behalf or by a pleader and shall, after hearing all the claims and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, determine the amount of compensation in respect of the damage and the determination so made by the Collector in the prescribed manner shall be final; **Determination of the amount of compensation :-**

(2) The Collector shall make an order of determination of compensation under sub-section (1) within a period or six months from the date of application. The provision of section 23 of the land Acquisition Act may also be taken into consideration while determining the compensation amount.

Provided that, no such determination of compensation shall be made by the Collector under this sub-section without the previous approval of State Government or such other officer, as the State Government may authorise in this behalf ;

Provided further that the Collector may make an order of the determination of compensation without such approval in such class or cases as the State Government may specify in this behalf ;

23 (1) Whenever an order under sub-section (1) of section 22 is passed, the Collector shall tender payment of compensation determined by him to the persons entitled there to. **Rights and interests when to be extinguished :-**

(2) If any person entitled to receive the compensation does not consent to receive it or if there be any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of it, the Collector shall deposit the amount of compensation in the Court to which a reference under section 24 would be made ;

Provided that any person admitted to be interested may receive such payment under protest

Provided further that no person who has received the amount otherwise than under protest shall be entitled to make any application under section 24.

Provided also, that nothing contained shall affect the liability of any person who may receive the whole or any part of compensation determined under this Act to pay the same to the person lawfully entitled thereto.

24 Any person who has not accepted the order awarding compensation may, within a period of forty five days from the date of order by written application to the Collector, require that the matter be refered by the Collector for the determination of the Court, whether his objection be to the measurement, the amount of compensation the persons to whom it is payable or the appointment of the compensation among the person interested. **Reference to court :-**

25 The Collector shall, in making the such a reference forthwith the following information to the Court- **Collector's statements to court :-**

(a) the situation and extent of claim, with particulars of any building structure etc ;
(b) the names of persons whom he has reason to believe are intersted in the claim ;
(c) the amount of compensation determined under section 22 ;
(d) the amount paid or deposited under section 23, and
(e) if the objection be to the amount of compensation,the grounds on which the amount of compensation was determined.

26 On receipt of reference the Court shall cause a notice, to be served on the following persons, specifying the day on which the Court shall proceed to determine the objection and directing their appearance before the Court on the specified day, namely :- **Service of notice :-**

(a) the applicant
(b) all persons interested except such of them as have consented without protest to receive payment of the compensation ; and
(c) the State through Collector, if the objection is in regard to the amount of compensation.

27 The scope of the enquiry in which such proceding shall be restricted to the consideration of the interests of persons affected by the objection. **Restriction of scope :-**

28 Every award of compensation by the court under this section shall be in writing signed by the judge, and shall specify the amount awarded and every such award shall be deemed to be a decree and the statement of grounds of every such award, a judgement within the meaning of section 2, clause(2) and section2 clause(9) respectively, of the court of civil procedure, 1908 (5 of 1908) **Fom of award :-**

29 The court shall while deciding every reference, also state the amount of costs incurred in the proceeding's before if and by what persons and proportions they are to be paid ; **Costs :-**

Provided that, when the award of the collector is not up held, the cost shall ordinarily be paid by the Collector unless the Court is of the opinion that the claim of the applicant was so extravagent or be was negligent in putting his case before the Collector so that some deduction from his costs should be made or that he should pay a part of collectors cost.

30 If the court award a sum in excess of the sum awarded as compensation by the Collector, the Court may direct that an interest on such excess amount at the rate of 7 percentum per annum from the date of which the rights on interest over such land were extinguish under the provision of section 23 to the date of payment of such excess shall be paid into the Court. **Interest on excess compensations :-**

CHAPTER-V

PREVENTION OF UNAUTHORISED OCCUPATION AND ENCROACHMENT ON A HIGHWAY AND REMOVAL OF ENCROACHMENT

31 All lands forming part of highway, which do not already vest in the State Government, but certain rights and interest therein have been extinguished under the provision of section 23 shall for the purpose of this chapter, be deemed to be the property of the State Government. **Land forming part of highway deemed to be Government property :-**

32 (1) No person shall occupy or encroach upon any highway within the highway boundaries. **Prevention of unauthorised occupation of highway :-**

(2) No right shall accrue to any person over any part of any highway by way of adverse possession

33 (1) When as a result of checking of the highway boundaries or other wise it is found that an encroachment has taken place on a highway, the Highway Authority or any officer authorised in this behalf shall serve a notice on a person responsible for the encroanhment or on his representative requiring him to remove such encroachement and restore the land to its original condition as it existed before the such encroachment within the period specified in the notice. **Removal of encroachment :-**

(2) The notice shall specify the land encroached upon and the time limit within which such encroachment is to be removed and shall also state that the failure to comply within the period specified therein will render the person liable to prosecution and also to summary eviction.

(3) If the encroachment is not removed within the period specified in the notice and no valid cause is shown for noncompliance, the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section(1) may request in writing to the Collector to remove the encroachment and thereupon the collector shall take action for summary eviction as if the matter falls within the scope of section 60.

(4) Where the encroachment is of such a nature that its immediate removal is considered essential in the interest of safety of traffic on the highway on the safety of any structure forming part of the highway and on notice can be served immediately on the person responsible for the encroachment or his representative under sub-section(1) owing to his absence or for any other reason, the Highway Authority or the authorised official may, in addition to prosecution of the person under sub-section (3), either :-

(i) have such protective work as may be feasible at a reasonable cost carried out so as to minimise the danger to traffic on the highway, or

(ii) have the encroachment removed with the help of the police, if necessary.

34 Where the person to whom a notice to remove an encroachment has been served,under subsection (1) of section 33, claims that the land in respect of which encroachment has been alleged, is his property, he shall within the time limit prescribed in the notice for the removal of the encroachment, file an appeal before the Collector under intimation to the Highway Authority. The Collector shall, after due enquiry, record his decision in writing and communicate the same to the appellant and the Highway Authority. **Appeal against notice served :-**

35 (1) Whenever the Highway Authority or any officer authorised under section .33 has removed any encroachment or carried out any protective work in respect of any encroachment, the expenditure involved shall be recovered from the person responsible for the en croachment in the manner hereinafter provided. **Recovery of cost of removal of encroachment :-**

(2) A statement of the expenditure incurred shall be served by the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section(1) on the person responsible for the encroachment or his representative with a direction to pay the amount within a specified period to the authority mentioned therein.

(3) The statement shall be accompanied by a certificate from the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section(1) to the effect that the amount of expenditure indicated in the statement represents the charges incurred and such cerfificate shall be conclusive proof of the fact that the charges have actually been incurred.

(4) The material, if any, recovered as a result of the removal of the encroanchment on payment of the amount with the specified period and if such payment is not made, the material may be auctioned and after deducting the amount due from the proceeds, the balance, if any, shall be made over to such person.

(5) If the proceeds of the auction sale do not cover the total amount due, for the excess over the amount realised by the sale of material or if there is no material to dispose of and due amount has not been paid by the person responsible for the encroachment within the specified period the entire amount due shall be recovered from such person as an arrear of land revenue.

CHAPTER-VI

SUPPLEMENTAL PROVISION RELATING TO COMPENSATION

36 After the issuance of notice under section 19 and before the determination of amount of compensation under section 22, the Collector may enter in to an agreement, for settling the amount of compensation, including apportionment of such an amount among persons interested, with any person interested in the land wherein the rights and interests are sought to be extinguished for the purposes of the Highway. As and when such an agreement is concluded, the Collector shall intimate to the Highway Authority the fact of conclusion of an agreement with a certified copy thereof and thereafter the Collector shall stop further proceedings with regard to determination of the amount of compensation under section 22 and shall make payment to the person or person interested in accordance with the said agreement.

Determination of amount of compensation :-

Provided that no such agreement shall be conducted by the Collector under this section without the previous approval of the State Government or such other officer as the State Government may authorise in this behalf.

37 At the time of any entry, survey or measurement or doing to any of the things under section 6, the officer making the entry, survey or measurement or doing any other thing, shall prepare a detailed report of the damage as a result of such entry, survey, measurement or execution of work including the cutting of standing crops, trees or removal of temporary structures, if any, on the land and forward it to the Collector for consideration at the stage of determination of compensation under section 22.

Compensation for cutting of standing crops or trees etc.:-

38 If any person has unauthorisedly erected, re-erected, added or altered any building on any land, which is required for the purpose of a Highway, then any appreciation in the utility of the land from such erection, re-erection, addition or alteration shall not be taken into account for determining the amount of compensation under section 22.

No compensation for unauthorised erection :-

39 No compensation shall be payable for the removal of any encroachment.

No compensation for removal of encroachment :-

40 All payments due to be made to any person by way of compensation by the Highway. Authority under this act shall as far as possible be made by adjustment in such person's account regarding betterment charges, if any, due from such person under chapter VII.

Payment by adjustment :-

CHAPTER - VII
PAYMENT OF BETTERMENT CHARGES

41 Where any work, which a Highway Authority is empowered to undertake under the provision of this Act, is undertaken, the officer authorised by the State Government in this behalf shall give notice to the persons known or believed to be the owners of, or intersted in the land benefited by a work, requiring them to appear before him either personally or by an agent at a time and place therein mentioned (such time not being earlier than thirty days from the date of notice) and to state their objections, if any, to the imposition and recovery of betterment charges on such lands; **Notice to owners and persons interested :-**

Provided, that no such notice shall be given unless the Highway authority with the previous sanction of the State Government has declared that the value of such lands is likely to increase or has increased by reason of the construction of such work.

42 On the date fixed under section 41 or on such other date to which the inquiry may be adjourned, the officer authorised under section 41 shall, after holding a formal enquiry and after hearing the objections, if any, stated by the persons as required by notice under section 41, make an order. The order shall specify:- **Inquiry and order :-**

(a) the lands benefited by the construction of works ;
(b) the increase in the value of such lands by the proposed construction ; and
(c) the amount of betterment charges leviable on each of the said lands.

Provided that the betterment charges shall be levied from the date of order of diversion passed by the sub-section 172 of Madhay Pradesh land Revenue code 1959 (No. 20 of 1959):

Provided further that no betterment charges shall be leviable in respect of any land :-

(i) which is unsuitable for development as a building site , or
(ii) which is situated beyond a distance of two hundred meters from the middle of the highway on either side.

43 The increase in value on account of the construction of work shall be the amount by which the value of the land on the date of completion of the proposed work is likely to exceed or has exceeded the value of the land on the date of commencement of the said work and the betterment charges shall be one half of such increase in value. **Increase in value and betterment charges :-**

Explanation :- for the purpose of this section, the State Government shall by notification in the official Gazette specify :-

(a) the date of commencement of the construction of any work and
(b) the date of completion of such work.

44 The order, fixing the betterment charges, made under section 42,shall be final. **Finality of order fixing betterment charges :-**

45 Any person aggrieved by the order fixing the betterment charges may, approach a Court of competent jurisdiction. **Remedy to person aggrieved :-**

46 The betterment charges recoverable in respect of any land, if not paid, shall be recoverable as arrear of land revenue. **Betterment charges be recoverable as arears of land revenue :-**

CHAPTER -VIII

SUPPLEMENTAL PROVISIONS TO SECURE SAFETY OF TRAFFIC AND PREVENTION OF DAMAGE TO HIGHWAYS.

47 (1) Whenever the Highway Authority is of the opinion that it is necessary for the prevention of danger arising from obstructions of the view of person using any bend or corner of the Highway, it may, save as otherwise provided in section 16 serve a notice upon the owner or occupier of land alongside or the bend or corner of such Highway to alter within such time and in such manner as may be specified in the notice the height or character of any existing wall (not being a wall forming part of a permanent structure), fence, hedge, trees, advertisement-posts, bill-boards or any other obstruction thereon, so as to cause it to conform with any require ments specified in the notice.

Prevention of observations of view of person using the highway :-

(2) Reasonable expenses incurred by the owner or occupier complying with the requirement of the notice shall be reimbursed to him, provided the object or obstruction had not been constructed or erected in contravention of any law for the time being inforce. Determination of the amount to be reimbursed shall be made by the Highway Authority and its decision in this respect shall be final.

(3) No expenses incurred in case of removal of the object of obstruction constructed or erected in contravention of any law or byelaw for the time being inforce, shall be reimbursed in com plying with the requirement of the notice. Action against concerned person who has constructed or erected the object of obstruction in contravention of any law or byelaw shall also be taken as provided in the relevant law.

(4) If any person upon whom a notice has been served under sub-section (1), objects to comply with the requirement of such notice, he may within one month of the receipt, send to the Highway Authority, his objection in writing stating the grounds thereof,

(5) The Highway Authority Shall within one month of the receipt of the objection, consider the grounds advanced and shall by order in writing, withdraw the notice or amend or confirm it ;

(6) A person aggreived by an order passed by the Highway Authority under sub-section (5) may prefer an appeal within fifteen days from the date when such order was communicated to him, to the Collector, whose decision in the matter shall be final.

(7) (a) If any person fails to comply with the notice served on him under sub-section (1) as amended or confirmed, as the case may be, under sub-section (5), the Highway Authority may take action to alter the object causing obstruction of view.

(b) Any expenditure incurred by the Highway Authority in altering the object causing the aforesaid obstruction of view shall be recovered from the person concerned if the said object was constructed or erected in contravention to any law inforce in this respect, without prejudice to the action provided for in any other law for the time being in force.

48 If at any time it appears to the Highway Authority that any highway in its charge or any portion thereof, is or has been rendered unsafe for vehicular or pedestrain traffic by reason of damage or otherwise, it may, subject to such rules as may be prescribed in this behalf, either close the highway or the portion of it to all traffic or to any class of traffic, or regulate the number and speed or weight of vehicles using the high way.

Highway Authority to regulate traffic when highway declared unsafe :-

49 Where the Highway Authority is satisfied that any Highway or portion thereof, or any bridge culvert or causeway built on or across any Highway is not designed to carry vehicles of which the ladden weight exceeds such limit as may be fixed in this behalf, if may subject to such rules, as may be prescribed in that behalf, prohibit or restrict the plying of such vehicles on or over such Highway or such part of the Highway or such bridge, culvert or causeway.

Prohibition of use of heavy vehicles on certain high-ways :-

50 (1) Where in excercise of the powers conferred on it by section 48, the Highway Authority desired to close down any highway or part thereof, permanently, it shall give notice of its intention to do so by notification in the official Gazette. The notification shall also be published in atleast two news papers, one or which shall be in Hindi language.

Procedure to be followed when Highway Authority desires to close any highway permanently :-

(2) The notice shall indicate the alternative route, if any, which is proposed to be provided or which may already be in existence, and shall also invite objections, if any, to the proposal to be submitted within such time as may be specified.

(3) The Highway Authority shall finalise its proposal to close down any Highway or part of it after considering the objections, if any, received within the specified time and shall submit the final proposal to the State Government for approval together with such objections as may have been received against the proposal.

(4) The State Government may either approve the proposal, with or without modification or reject it.

(5) When the State Government approves the proposal it shall publish its orders in the official Gazette.

(6) When the orders of the State Government have been published in the official Gazette, the Highway Authority shall arrange for further publicity to be given to the orders in at least two news papers one of which shall be in the regional language of the place in which such highway is situated and the Highway or part thereof shall then be closed.

(7) Whenever any Highway or any part thereof has been so closed reasonable compensation shall be paid to every person who was entitled, otherwise than as a mere member of the public, to use such highway or part thereof as a means of access to or from his property and has suffered damage for such closure.

Consent of Highway Authority required to do certain acts on highway :-

51 (1) Notwithstanding any thing contained in any other enactment for the time being in force, no person other than the Highway Authority or any person authorised by it shall construct or carry any cable, wire, pipe,drain sewer, channel of any kind through, across, under or over any highway, except with the permission in writing of the Highway Authority.

(2) In giving its consent the Highway Authority may impose such conditions as it may deem fit, and may also impose a rent or other charge for land forming part of the Highway, occupied by or applied to the proposed work.

(3) If any person constructs or carries out any work in contravention of sub-section (1), the Highway Authority may arrange for the removal of such work and restoration of the Highway to its former condition in accordance with the provisions or sectioin 33 as if the work constituted an encroachment on the highway and such expenses, as the Highway Authority may incur for this purpose shall, without prejudice to any other action that may be taken against such persons, be recovered form him in accordance with the procedure provided in section 35 in so far as that procedure is applicable.

Prevention and rectification of damage of highway :-

52 (1) No person shall willfully cause or allow any vehicle or animal in his charge to cause any damage to any Highway.

(2) Where in contravention of sub-section(1) any damage has been caused to any highway, the Hignway Authority shall have the damage repaired and the expenses involved shall, without prejudice to any other action that may be taken against the person responsible for the contravention of sub-section(1) be recovered from him in accordance with the procedure in section -35 in so far as that procedure is applicable.

CHAPTER - IX
PENALTIES

53 Whoever willfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act to give such direction or obstructs any person or authority in the discharge of any functions that such person or authotity is required or empowered under this Act to discharge or being required by or under this Act to supply any information, withholds such information, or gives information which he knows to be false or which he does not believe to be true shall , on conviction, be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

Disobedience of orders, instructions and refusal to give informations :-

54 Whoever, erects, alters or extends any building or makes any excavation, or constructs any means of access to or from a Highway or does any other work in contravention of the provisions of section- shall on conviction be punishable :-

(a) with fine which may extend to five thousand rupees ; and

(b) with further fine which may extend to one thousand rupees for each day after such conviction, during which the offending structure or work is not removed, demolished or cleared and the site not restored to its original condition.

Contravention restrictions relating to access or erecting any building :-

55 Whoever

(a) Occupies or makes any encroachment on any Highway in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 32; or

(b) fails to comply with the notice served on him under sub-section (1) of section 33 for no valid reason,shall on conviction, be punishable.

(i) for first offence with fine which may extend to five thousand rupees; and

(ii) for a subsequent offence in relation to the same encroachment with fine which may extend to ten thousand rupees; and

(iii) for persistent encroachment, imprisonment upto two months plus a further fine not exceeding five hundred rupees per day on which such occupation of the Highway or encroachment continues.

Explaination :- " Persistent encroachment " shall mean continuance or committing of encroachment by any person on the same portion or place of the Highway for which he was punished earlier under sub-clause (b) (i)-(ii) of this section.

Unauthorised occupation of highway :-

56 Whoever contravenes any provision of this Act or any rule or order made thereunder shall, if no other penalty is provided for the offence, on conviction, be punishable,-

(a) for a first offence with fine which may extend to one hundred rupees; and

(b) for a subsequent offence with fine which may extend to five hundred rupees.

General provisions for punishment of offences :-

57 Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any offence committed under this Act other than an offence prescribed under section 55 may be compounded by the Highway Authority on such terms as may be specified by the State Government by a special or general order and if any preceedings have been instituted against any person in any criminal Court, than on the terms of the compro mise being carried out, the composition shall amount to an acquittal and in no case shall, any further proceedings, be taken against such person or any property of such person with reference to the same facts.

Power to compound offences :-

CHAPTER- X
MISCELLANEOUS

58 Every Police Officer shall forthwith furnish information to the nearest Highway Authority, or the nearest Officer subordinate to the Highway Authority of any offence coming to his knowledge which has been committed against this Act or any rule made thereunder and shall be bound to assist the Highway Authority and its Officers and employees in the exercise of their lawful authority. **Powers and duties of Police:-**

59 Every village, Kotwar by whatever name called, shall forthwith inform the nearest police station or the nearest Highway Authority or any officer duly authorised by the Highway Authority whenever he becomes aware that, any survey mark of any Highway or any mark showing the building or control line determined in respect of a Highway, has been destroyed, damaged, removed, displaced or otherwise tampered with or that any damage to any Highway has been made. **Duties of village officials :-**

60 Any person wrongfully occupying any land :-
(a) which is a part of a highway; or
(b) the occupation of which contravenes any provision of this Act and the said provision do not provide for the eviction of such person;
shall be evicted under and in accordance with the provisions of the section 33 of this Act. **Eviction :-**

61 The Highway Authority and all the officers and other person authorised or appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal code, 1860 (Central Act XLV of 1860) **Certain persons to be public servents:-**

62 Save as provided under this Act no Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any matter; which is by or under this Act, required to be settled, decided or dealt-with by the Highway Authority, the Collector or officer or person authorised under this Act, or the State Government. **Bar of jurisdiction :-**

63 (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any public servant or officer or person duly authorised under this Act in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act, or the rules or orders made thereunder. **Protections of persons acting in good faith and limitation of suit or prosecution :-**

(2) No suit or prosecution shall be instituted against any public servant or officer or person duly authorised under this respect of anything done or intended to be done under this Act, unless the suit or prosecution has been instituted within six month from the date of the act complained of.

64 (1) The State Government may, by notification in the official Gazette make rules to carry out all or any of the purposes of this Act. **Power to make rules :-**

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules for all or any of the following matters :-
(a) the manner in which the notification may be published in the village and at the headquarter of the tehsil and district under section- 12;

(b) the other places at which copies of map may be kept for inspection under section- 13;

(c) the form of application and its contents under sub-section (3) of section- 14;

(d) prescribing the rules subject to which a Highway or portion of it may be closed to traffic or any class of the traffic or the number and speed or weight of the vehicles using the Highway may be regulated under section- 48;

(e) prescribing the rules subject to which plying of vehicles may be prohibited under section- 49.

(f) the prevention of obstruction of view of persons using Highway and annoyance, danger or injury to the public;

(g) the prevention of obstruction, encroachment and nuisance on or near and of damages to Highway;

(h) the proper maintenance of boundary marks demarcating Highway boundary and building and control lines;

(i) the prescription of various forms of applications required to be made and the forms of notices and bills required to be served on persons, the charges to be made for the supply of copies of maps, and the charges to be imposed or levied under the provisions of this Act;

(j) the general guidance of the Highway Authority in the discharge of its function under this Act;

(k) regulation of diversions of existing rights of access;

(l) the manner in which the notice or statements may be served or presented; and

(m) any other matter which is required to be or may be prescribed under this Act.

(3) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

65 Save, as provided in any Central Act relating to cantonments, Railways, Telegraph and Electricity, the provisions of this Act or rules made there under in regard to any matter dealt with, thereby shall prevail over the provisions of any other law made by the State Legislature is competent to make or to amend, in so far as such law is inconsistant with the said provisios or rules and such law to the extent of such inconsistency, shall cease to apply or shall not apply to any such matter. **Provisions of this act or rules to prevail over inconsistent provisions in other laws :-**

(1) Provided that if any highway is declared to a National Highway under the National Highway Act 1956 (Central Act, XL, VIII of 1956), it shall be lawful for the State Government to fix the building and control lines for different portions of the said highway under section 12 or to levy betterment charges under section 42 on l ands, the value of which has increased by reasons of the construction or proposed constructions of such highway and thereafter the provisioins of this Act in so far they apply to the restrictions on buildings between the highway boundary and the building line or between the building line and control and other provisions relating to such building and control lines, as the case may be and the provisions of this Act relating to the levy of betterment charges shall, mutatis mutandis, apply.

66 The Madhya Pradesh, Highway Act, 1936 (No 34 of 1936 so far as applies of Chhattisgarh State is hereby repealed. **Repeal :-**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. An efficient and rapid road transport system is key to the economic development of a State. It is necessary that our highways must be properly constructed, developed, maintained and looked after. The Government of India and the State Government are taking up the construction and maitenance of highway on a very large scale. Apart from above, private sector participation in the road sector is also being encouraged to a great extent. For all these activities acquisition of land and proper use & management of the land appurtenant to highway is necessary. It is, therefore, proposed to enact a law for the purpose of construction, maintenance and development of highways and regulation to use land appurtenant to highways.

2. Salient features of the proposed Bill are as under :-

(i) . The provision of declaration of any road, way or land as highway and Highway Authority and its powers and duties have been proposed.

(ii) The Highway Authority is proposed to be empowered to enter any land for surveys , preparation of schemes, demarcation and annual check of road boundaries.

(iii) The acquisition of land for the purpose of construction or widening of highways and procedure to be adopted for the same. Provisions are also proposed to be made for determination of amount of compensation and procedure of payment thereof. In case of any dispute the matter may be refered to Court.

(iv) Necessary provision for prevention of unauthorised occupation and encroachments on a highway and removal of encroachment has been proposed. It is also proposed that the costs of removal of encroachment will be recovered from the person responsible for it.

(v) The provisions have been made relating to compensation for cut ting of standing crops, trees etc. It has been made clear that no compenastion shall be payable for removal of unauthorised erection or unauthorised occupation of land.

(vi) The authorised officer has been empowered to levy and fix betterment charges on account of increase in the value of land due to construction or upgradation of highways. Any person aggrieved by the order fixing the betterment charges may approach a Court of competent jurisdiction.

(vii) The provisions are also proposed for securing safety of traffic, prevention of danger arising from obstructions of the view of persons using any highway. specially at any bend or corner of the Highway and prevention of damage to highways. Authority is empowered to regulate the movement of heavy vehicle. To con struct or carry any cable, wire, pipeline, drain sewer and channel of any kind through across, under in writing shall be necessary.

(viii) Appropriate penalties for unauthorised occupation of highway and disobedience of orders of Highway Authorities, have been provided.

(ix) The powers and duties of police, and duties of village officials have been defined.

3 Hence this Bill

Raipur
dated / / 2003

Member-in-charge

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त 2016— भाद्रपद 1, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 7934/डी. 215/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-08-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

(176)

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 29 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में,-

(एक) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(घघ) "रियायत" से अभिप्रेत है यथास्थिति, राज्य शासन या/तथा राजमार्ग प्राधिकारी और किसी व्यक्ति के मध्य किसी राजमार्ग या उसके भाग के विकास, वित्त पोषण और संचालन, जिसमें राजमार्ग के संचालन हेतु एवं उस पर शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण हेतु अनुबंध भी शामिल है, के लिए निष्पादित अनुबंध में विनिर्दिष्ट अधिकार और दायित्व;

"(घघघ) "रियायतग्राही" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जिसने यथास्थिति, राज्य शासन या/तथा राजमार्ग प्राधिकारी के साथ किसी रियायत के लिये या उसके संबंध में अनुबंध किया हो;"

(दो) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ठ) "राजमार्ग प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य शासन का कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी अथवा कम्पनी जिसे इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत इस प्रकार नियुक्त किया गया हो;"

धारा 4 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "अथवा किसी प्राधिकारी" के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"या कोई कंपनी, जो सुसंगत विधि के अंतर्गत सम्यक् रूप से पंजीकृत हो तथा राज्य शासन के स्वामित्व और नियंत्रण में हो,"

धारा 6 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"6. राजमार्ग प्राधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य.-(1) राजमार्ग प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में राजमार्गों के विकास करने हेतु शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकारी, अपने किन्हीं भी कृत्यों का निष्पादन या तो स्वयं या किसी रियायतग्राही के माध्यम से कर सकेगा.

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजमार्ग प्राधिकारी,-

(एक) उसमें निहित अथवा उसको सौंपे गए राजमार्गों का सर्वे, विकास और संचालन कर सकेगा;

(दो) अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य भवनों का निर्माण कर सकेगा;

(तीन) उसमें निहित अथवा उसको सौंपे गए राजमार्गों के किनारे पर पथिक सुविधाओं का निर्माण और रख-रखाव कर सकेगा;

(चार) पथिक सुविधाओं अथवा इसके निर्माण तथा/या संचालन हेतु अपेक्षित भूमि, अन्य सत्ताओं को पट्टे, उप-पट्टे या अनुज्ञप्ति, ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर दे सकेगा, जैसा कि राज्य शासन अनुमोदित करे;

(पांच) भारत तथा विदेश में सलाहकारी तथा निर्माण सेवायें विकसित कर सकेगा एवं प्रदान कर सकेगा तथा राजमार्ग और इससे संबद्ध सुविधाओं का विकास और संचालन के संबंध में शोध कार्य कर सकेगा;

(छः) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों के अधिक दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिये सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत एक या अधिक विधिक सत्ताओं का गठन कर सकेगा;

(सात) किसी भी राज्य शासन को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि उस पर परस्पर सहमति हो, राजमार्ग के विकास हेतु योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान कर सकेगा;

(आठ) राज्य शासन की ओर से धारा 11-क के अंतर्गत पथ-कर, तथा ऐसे अन्य शुल्क, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि विहित किया जाये, संग्रह कर सकेगा;

(नौ) सड़क सुरक्षा प्रोत्साहित करने के लिये उपाय कर सकेगा और परियोजनाएं ले सकेगा; तथा

(दस) ऐसे सभी उपाय कर सकेगा अथवा ऐसे आनुषंगिक उपाय कर सकेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कृत्यों का निष्पादन करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो.

(3) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकारी, राजमार्ग के संचालन तथा विनियमन हेतु निम्नलिखित के संबंध में विनियम बना सकेगा:-

(एक) राजमार्गों का रख-रखाव और निरीक्षण;

(दो) उपभोक्ताओं की सुरक्षा;

(तीन) सड़क सुरक्षा के मानक और प्रक्रियायें;

(चार) राजमार्गों पर बाधाओं की रोकथाम की रीति;

(पांच) इस प्रयोजन हेतु चिन्हांकित स्थलों के सिवाय राजमार्ग पर वाहनों की पार्किंग या प्रतीक्षा वर्जित करने की रीति;

(छः) राजमार्ग के किसी भी भाग पर पहुंच को वर्जित करने या निर्बंधित करने की रीति;

(सात) राजमार्ग पर और इसके निकट विज्ञापनों को विनियमित करने या निर्बंधित करने की रीति; तथा

(आठ) सामान्यतः राजमार्ग के कुशल और उचित संचालन के लिये."

नवीन धारा 11-क का अन्त:स्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"11-क. राजमार्ग पर प्रदत्त सेवाओं और प्रसुविधाओं हेतु पथकर.- कोई भी वाहन, ऐसी दर एवं रीति में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचित किया जाये, उद्ग्रहित पथकर का भुगतान किये बिना, विनिर्दिष्ट राजमार्ग पर प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसका उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे वाहन के स्वामी या उपभोक्ता का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के शुल्क का भुगतान करे."

नवीन धारा 65-क का अन्त:स्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 65 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"65-क. भू अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 1) का संदर्भ.- इस अधिनियम में,- (क) जहां भी "भू अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894)", "भू अर्जन अधिनियम, 1894" अथवा "भू अर्जन अधिनियम" संदर्भित हो, उसको "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" से संदर्भित माना जायेगा; तथा

(ख) "भू अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894) की किसी धारा के संदर्भ को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के सुसंगत प्रावधान का संदर्भ माना जायेगा.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 7934/डी. 215/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 29 of 2016)

THE CHHATTISGARH RAJMARG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003).

Be it enacted by the State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajmarg (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016. Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003), (hereinafter referred to as the Principal Act):- Amendment of Section 2.

(i) after clause (d), the following shall be inserted, namely :-

"(dd) "Concession" means the rights and obligations specified in a contract entered into between the State Government or/and the Highway Authority, as the case may be, and any person for development, financing and operation of a highway or a part thereof, and includes a contract for operation of, and levy and collection of fee on, a highway;

(ddd) "Concessionaire" means a person who has entered into a contract with the State Government or/and the Highway Authority, as the case may be, for and in respect of concession;"

(ii) for clause (m), the following shall be substituted, namely :-

"(m) "Highway Authority" means an official of the State Government, or any authority, or a company appointed as such under Section 4 of this Act;"

3. In Section 4 of the Principal Act, after the words "or any Authority" the following shall be inserted, namely :- Amendment of Section 4.

"or a Company duly registered under the relevant law and owned and controlled by the State Government"

4. For Section 6 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- Amendment of Section 6.

"6. **Powaers and functions of Highway Authorities.**- (1) A Highway Authority shall exercise powers and discharge duties in accordance with the provisions of this Act for development of highways in the State :

Provided that the Authority may carry out any of its functions either by itself or through a concessionaire.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Highway Authority may,-

(i) survey, develop and operate highways vested in, or entrusted to it;

(ii) construct offices, workshops and other buildings necessary for discharge of its functions;

(iii) establish and maintain wayside amenities at or near the highways vested in, or entrusted to it;

(iv) lease, sub-lease or licence the wayside amenities or the land, to any other entities, required for construction and/or operation, on such terms and conditions as the State Government may approve;

(v) develop and provide consultancy and construction services in India and abroad and carry on research activities in relation to the development and operation of highways or any facilities there at;

(vi) form one or more legal entities, duly registered under relevant law, to further the efficient discharge of the functions imposed on it by this Act;

(vii) assist, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, any State Government in formulation and implementation of schemes for highway development;

(viii) collect toll tax under Section 11-A on behalf of the State Government, and such other fees on such terms and conditions as may be prescribed;

(ix) undertake measures, projects for promoting road safety; and

(x) take all such steps as may be necessary or expedient for, or may be incidental to, the exercise of any powers or the discharge of any function conferred or imposed on it by this Act.

(3) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority may make regulations for operation and regulation of highways in respect of -

(i) upkeep and inspection of highways;

(ii) safety of users;

(iii) road safety standards and procedures;

(iv) the manner of preventing obstructions on highways;

(v) the manner of prohibiting the parking or waiting of vehicles on highways, except at places earmarked for this purpose;

(vi) the manner of prohibiting or restricting access to any part of the highway;

(vii) the manner of regulating or restricting advertisements on and around highways; and

(viii) generally for the efficient and proper operation of highways."

Insertion of new Sections 11-A.

5. After Section 11 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"11-A. **Toll tax for services or benefits rendered on highways.**- No vehicle shall enter or use a specified highway without payment of toll tax levied at such rates and in

such manner as may be notified by the State Government through Notification in the Official Gazette and it shall be duty of the owner or occupier of a vehicle to tender such fee."

Insertion of new Section 65-A.

6. After Section 65 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"65-A. Reference to Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894).- In this Act, - (a) Wherever there is a reference to "the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)", "the Land Acquisition Act, 1894" or "the Land Acquisition Act", such reference shall be deemed to be "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)"; and

(b) Reference to any Section of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894) shall be deemed to be a reference to relevant provision of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.